राजस्थान विधान सभा

पन्द्रहवीं बैठक, दिनांक ३१ अक्टूबर, १९५२

सदन का कार्य ८ बज कर ४० मिनट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष:-प्रश्न; श्री भैरूंसिंह।

प्रश्न सं० २४०

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १२):-क्या श्री मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(अ) मिडल स्कूल शिक्षण का स्तर ऊंचा करने के लिए क्या सरकार परीक्षा बोर्ड स्थापित करने का विचार रखती है ?

(ब) यदि (अ) का उत्तर "हां" में है तो यह विचार कब तक अमल में लाया जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-(अ) हमारे राजस्थान के बहुत से युनिट्स में मिडल स्कूल के बोर्डज अभी तक हैं। यह सवाल राजस्थान गवर्नमेन्ट के विचाराधीन है कि इस बोर्ड की परीक्षा को सारे राजस्थान में लागू किया जाय या नहीं किया जाय ?

(ब) इसके लिए में खास मयाद नहीं बता सकता कि कब तक यह हो ही जायगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने समय से यह सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-कम से कम छः महीने से तो है ही।

एक सदस्य:—अब तक इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं किये जाने का कारण बताया जा सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—इस सम्बन्ध में डिविजन ऑफ ओपिनियन है कि इसको लागू किया जाय या नहीं; यह फैसला अभी होना बाकी है ।

श्री माधोसिंह:—क्या सरकार में ही इस सम्बन्ध में डिविजन ऑफ ओपिनियन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—यह मामला एक्सपर्ट्स, जो शिक्षा के जानने वाले हैं, के पास है और उनमें आपस में डिविजन ऑफ ओपिनियन है ।

श्री रामदयाल उपाध्याय:—मेरे खयाल से तो जब डिविजन ऑफ ओपिनियन है तो शायद यह लागू ही न हो ।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट ।

प्रश्न सं० २४१

श्री भैरूंसिंह:—क्या मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि........

(अ) गूंगे, बहरे, अन्धे तथा असहाय बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन सी व्यवस्था की है ?

(ब) यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—(अ) गूंगे, बहरे और अन्धों के लिए जयपुर में एक स्कूल है ।

(ब) सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री मोतीराम:—गूंगे, बहरे और अन्धों के लिए ही कहा गया है । असहाय के लिए क्या कोई व्यवस्था नहीं की गई है; जब कि असहाय के लिए भी पूछा गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—असहाय बच्चे तो ओर्डिनरी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं ।

श्री मोतीराम:—मंत्री महोदय क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि असहाय बच्चों के लिए क्या बन्दोबस्त किया गया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा:–मैं आपके "असहाय" की परिभाषा नहीं समझा हूं। असहाय या गरीब जो होते हैं उनको सरकार की ओर से स्कोलरशिप मिलती है। यदि हाथ पांव कटे हुए हैं और वह पढ़ना चाहता है तो भी स्कोलरशिप लेकर पढ़ सकता है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–क्या सरकार यह पर्याप्त समझती है कि गूंगे, बहरे और अन्धों के लिए जयपुर में ही व्यवस्था की जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–हमारे प्रान्त की जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए जो कुछ चल रहा है उसी से संतोष कर लेना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष:—The trouble is that he is Finance Minister also.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संस्था में कितने ऐसे लड़के पढ़ रहे हैं और उन पर क्या खर्चा हो रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–यदि माननीय सदस्य इसके लिए मुझे नोटिस दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री चन्दनमल:–हर एक प्रश्न के लिए नोटिस चाहा जाता है।

श्री जसवन्तसिंह:–मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या दूसरी जगह भी ऐसी स्कूलों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–यह पहले पहल ही यहां सवाल आया है। इस सम्बन्ध में पहले किसी ने नहीं पूछा था। हां, जयपुर के एस० पी० मिले थे और उन्होंने कहा था कि इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। इससे पहले गूंगे-बहरों के लिए न तो किसी ने कहा और न सरकार के समक्ष ही यह बात पहुंचाई गई।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या सवाल पूछा जाता है और क्या जवाब मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा अपने आप ही सरकार द्वारा किया जाना चाहिए था।

श्री नाथूराम मिर्धा:–माननीय सदस्य सोच कर कहें। जब पढ़ने वाले ही नहीं हैं तो क्या व्यवस्था की जाय? एक स्कूल में चाहे जितना एडमिशन मिल सकता है।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या इसका मतलब यह समझा जाय कि सरकार दूसरी जगह ऐसे स्कूल्स खोलने का विचार नहीं रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–अभी तक तो नहीं।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--तो क्या मैं यह समझूं कि आर्थिक अवस्था की जो बात कही गई थी वह टालने की बात थी ?

श्री अध्यक्षः–That is because he is Finance Minister also.

श्री इन्द्रनाथ मोदीः–We also know what the position is, but the Hon'ble Minister should state either that the position is that such schools are unnecessary in Rajasthan or that they are not finding funds to open such schools in Rajasthan. We want to know the definite attitude of the Government in the matter

श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री) :–ऐसी स्कूलों की आवश्यकता एक से अधिक स्थानों पर भी हो सकती है । लेकिन इससे ज्यादा जरूरी और भी साधारण स्कूलें; जैसे प्राइमरी स्कूलें, मिडिल स्कूलें व हाई स्कूलें हैं । उनकी आवश्यकता पूरी होने के बाद ऐसी स्कूलों का ध्यान, अधिक पैसा होने पर, दिया जा सकता है । ऐसी स्कूलें सारे क्षेत्र में तभी हो सकती हैं जब कि रुपया हो । यदि ज्यादा रुपया होता तो कम आवश्यकता वाले क्षेत्रों में ऐसी स्कूलें खोली जा सकती थीं । अभी एक स्कूल चल रही है; उसी से काम चलाना होगा ।

श्री मानसिंहः—क्या जयपुर की स्कूल में पूरा खर्चा सरकार देती है या और भी कोई देता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (अर्थ मंत्री) :–सारा खर्चा सरकार देती है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशीः—प्रान्त में गूंगे, बहरे और अन्धे लड़के कितने हैं ? क्या इस प्रकार के आंकड़े सरकार के पास हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धाः–ऐसे आंकड़े नहीं हैं ।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः–क्या सरकार ऐसे आंकड़े हासिल करने की मशीनरी स्थापित करने का इरादा रखती है ।

श्री नाथूराम मिर्धाः–इस पर विचार किया जायगा ।

इन्द्रनाथ मोदीः—I have put a question relating to the expenditure that is being incurred on the school in Jaipur. No reply to that question has been given.

मैंने यह सूचना चाही थी कि जयपुर में जो स्कूल अन्धे, बहरे और लूले लड़कों को शिक्षा देने के लिये चल रही है उस पर सालाना कितना खर्चा होता है; यदि अंदाज से बता सकें तो महरबानी होगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा:—में अंदाज से बात करना पसंद नहीं करता । पूरे आंकड़े दूंगा, आप सवाल पूछिये ।

श्री भैरोंसिंह:—क्या यह सप्लीमेन्ट्री सवाल रिलेवेन्ट नहीं है ?

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १२):—क्या श्री मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) देसूरी तहसील में कितने हाई स्कूल हैं ?

(ब) इस वर्ष जोधपुर डिविजन में कितने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल स्तर तक लाये गये हैं ?

(स) मिडिल स्कूल देसूरी को भी हाई स्कूल बनाने का आगामी योजना में स्थान है ?

(ड) यदि (स) का उत्तर "ना" में है तो क्या मिडिल स्कूल देसूरी को भी इस योजना में शामिल करने का कष्ट किया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—(अ) देसूरी में कोई हाई स्कूल नहीं है। (ब) नहीं। (स) जब पूरे स्थानों की मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलें बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा तब देसूरी मिडिल स्कूल को भी हाई स्कूल बनाने के बारे में विचार किया जायगा और मेरिट पर विचार किया जायगा ।

श्री जसवन्तसिंह:—जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है यदि संयुक्तदल छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हो जायं तो क्या इस स्कूल को हाई स्कूल बना दिया जायगा ?

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा):—जब गत वर्ष में बहुत सी हाई स्कूलें बनी हैं और जब कि धारा सभा बन गई है तब क्या मंत्री महोदय ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मुझे दुःख है कि मैं बार बार यह बातें कह चुका हूं कि हमारी आर्थिक परिस्थितियें अच्छी नहीं हैं इसलिये एज्युकेशन के एक्सपेन्शन के बारे में इस साल कुछ नहीं कर सके हैं। सिर्फ दो इन्टरमीडियेट

कॉलेजेज़ और एक हाई स्कूल नई बनाई गई हैं और वे भी दूसरों द्वारा सहायता देने पर । इसके अलावा जो चार लाख रुपयों की सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट मंजूर हुई है उसके द्वारा जो स्कूलें बंद हो रही थीं उन्हें बंद होने से बचाया गया है । इसके अलावा और कोई नयी हाई स्कूल्स नहीं बनाई गई हैं ।

श्री जसवन्तसिंह:–अभी माननीय मंत्री ने बतलाया है कि दो इन्टर कोलेजेज और कुछ हाई स्कूलें खोली गई हैं । क्या आप बतलायेंगे कि ये कहां खोली गई हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–सिरोही और टोंक में इन्टरमीडियेट कॉलेजेज और भीनासर में हाई स्कूल खोली गई हैं ।

श्री भैरूंसिंह:–क्या सरकार के पास इस तरह की हाई स्कूल और खोलने की कोई योजना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–नहीं ।

श्री मोतीलाल:–सिरोही और टोंक के कॉलेजेज में कितने विद्यार्थी हैं ?

श्री अध्यक्ष:– Not relevant.

श्री कपिलदेव:–देसूरी की आबादी क्या है ?

श्री अध्यक्ष:–Not relevant.

श्री सतोषसिंह:–अभी आपने यह फरमाया था कि देसूरी की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने के बारे में उस समय सोचा जायगा जब दूसरे स्थानों की मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल बनाने पर विचार किया जायगा । क्या जितनी भी मिडिल स्कूल्स हैं उनको हाई स्कूल्स बनाने के लिये एक साथ सोचा जायगा ?

श्री अध्यक्ष:–How it is relevant ?

श्री खेतसिंह:–जब सरकार के पास हाई स्कूल्स के लिये कोई योजना नहीं है तो क्या मिडिल स्कूल्स को हाई स्कूल्स एट रेन्डम बनाया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–सभी लोग चाहते हैं कि हमारे यहां की मिडिल स्कूल्स को हाई स्कूल बनाया जाय । पर सरकार के पास इसके लिये पैसा नहीं है । बगैर पैसे के आपका कहना कारगर नहीं होगा ।

प्रश्न संख्या २४३

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६):-क्या मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन बतलाने का कष्ट करेंगे:-

सीकर में वर्तमान जिला बोर्ड के सदस्यों को किन किन योग्यता के आधार पर सरकार ने मनोनीत किया है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री):-सीकर के वर्तमान जिला बोर्ड के सदस्य काम चलाऊ सदस्यों के रूप में मनोनीत किये गये थे। मनोनीत व्यक्ति जिले के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री भैरूंसिंह:-योग्यता के बारे में पूछा गया है कि किस योग्यता के आधार पर उन्हें मेम्बर बनाया गया ?

श्री रामकरण जोशी:--वे सारे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, यही योग्यता है।

श्री भैरूंसिंह:-क्या इसमें एक पार्टी के सिवाय और किसी पार्टी के लोग हैं ?

श्री रामकरण जोशी:-यह बात मेरे नोटिस में नहीं है।

श्री भैरूंसिंह:-क्या यह आपके ध्यान में है कि इस बोर्ड में जागीरदार और भोमियों के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है ?

श्री रामकरण जोशी:-इस तरह की कोई रुकावट नहीं रखी गई है।

श्री भैरूंसिंह:-तो फिर क्या कारण है कि इसमें एक भी जागीरदार और भोमिया नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी:-मैंने इस चीज को देखने की आवश्यकता नहीं समझी।

श्री मानसिंह:-क्या आपको मालूम है कि इस बोर्ड के १७ सदस्यों में से १४ जाट हैं ?

श्री रामकरण जोशी:--जाति के आधार पर मैंने नहीं देखा है।

श्री मानसिंह:-क्या १७ सदस्यों में से १४ जाट हैं, यह आपको मालूम है ?

श्री रामकरण जोशी:--नोटिस देकर आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री मानसिंह:—क्या सरकार ऐसी कार्यवाही को अनुचित समझकर दुबारा चुनाव करायेगी और जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक कोई एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेगी ?

श्री रामकरण जोशी:--इसमें औचित्य और अनौचित्य का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री मानसिंह:—जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि ये सदस्य टेम्परेरी मनोनीत किये गये थे । इतने अर्से से वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है तो ऐसी सूरत में दुबारा चुनाव कराया जायगा और जब तक चुनाव न हो जाय एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जायगा; क्या ऐसा आपका विचार है ?

श्री रामकरणजोशी:--चुनाव जरूर होगा, पर औचित्य और अनौचित्य का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मानसिंह:—क्या यह सही है कि इसमें अधिकांश अनपढ़ सदस्य हैं ?

श्री रामकरण जोशी:--आपकी विधान सभा में जब अनपढ़ लोग सदस्य हो सकते हैं तो वहां भी हो सकते हैं ।

श्री तनसिंह:—क्या इसमें अनपढ़ सदस्य भी हैं ?

श्री रामकरण जोशी:—अगर आपके सदन में होंगे तो वहां भी हो सकते हैं ।

(हंसी)

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—आखिर आपने किस आधार पर जाँच की है ? जब जातियों का प्रश्न आता है तो आप कहते हैं कि आपको मालूम नहीं क्योंकि आपने कभी इस आधार पर देखने की कोशिश नहीं की और जब Academic योग्यता की बाबत पूछते हैं तो फरमाते हैं, मालूम नहीं । तो आखिर गवर्नमेन्ट ऐसे मामलों में कोई आधार रखना चाहती है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी:—गवर्नमेन्ट आधार रखना चाहती है; पर वह जातीयता का संकुचित दृष्टिकोण का आधार नहीं रखना चाहती । गवर्नमेन्ट का दृष्टिकोण बड़ा विशाल है । अपने अपने हिस्से का प्रतिनिधित्व करने के आधार पर उन सदस्यों को लिया गया है ।

श्री जसवन्तसिंह:—आखिर वह कौनसा आधार है जिसके आधार पर वे लोग लिए गए हैं ।

श्री टीकाराम पालीवाल:—क्षेत्र के आधार पर लिए गए हैं ।

श्री भैरूंसिंह:—क्या उनमें हरिजन भी हैं ?

श्री रामकरण जोशी:–अगर आप इसी बात पर insist करते हैं कि कितने हरिजन हैं; कितने जाट हैं और कितने दूसरे हैं तो मैं इन सब का उत्तर टेबल पर रख सकता हूं ।

श्री रामदयाल उपाध्याय:–हरिजनों की सीटें हैं; अतः कृपया बताइये कि उनमें हरिजन भी हैं कि नहीं ?

श्री रामकरण जोशी:–मैं इसका उत्तर टेबल पर रख सकता हूं ।

श्री भैरूंसिंह:–क्या वे लोग किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष:—Order, Order ! Next.

प्रश्न सं० २४४

श्री भैरूंसिंह:–क्या मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, यह बतलाने का कष्ट करेंगे:–

(अ) राजस्थान में कितने म्युनिसिपल कस्बों में एडहोक कमेटियां काम कर रही हैं ?

(ब) इनमें सबसे पुरानी कौनसी है और उनका मुख्य कारण क्या है ?

श्री रामकरण जोशी:– (अ) निम्नलिखित नगरपालिकाओं में एडहॉक कमेटियां काम कर रही हैं:–

१. नवलगढ़

२. चोमू

३. किशनगढ़

(ब) इनमें सबसे पुरानी चोमू की एडहॉक कमेटी है । इसका कारण यह है कि तहसीलदार इस कमेटी के निर्माण से पहले इस नगरपालिका के प्रबन्धक थे । और क्योंकि उनका हेडक्वार्टर चोमू में नहीं था ; अतः मतदाता सूची तैयार करने में तथा नये चुनाव की वैधानिक पद्धति को पूरा करने में देर होगई । अब सब तैयार होगई है और चुनाव दिनांक १६-११-५२ को होने वाले हैं ।

श्री कँवरलाल जेलिया:–कृपया उन तीन कमेटियों के नाम बतलाइये ?

श्री रामकरण जोशी:–नवलगढ़, चोमू और किशनगढ़ ।

श्री चांदमल:–क्या चूरू में चुना हुआ बोर्ड है ?

श्री रामकरण जोशी:-राजस्थान में कुल १८० बोर्ड हैं; अलग अलग नाम लेकर बताने से कोई मतलब नहीं। मैं बता चुका हूं कि नवलगढ़, चोमू और किशनगढ़ को छोड़ कर ad-hoc कमेटियां कहीं काम नहीं कर रही हैं।

प्रश्न सं० २४५

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६):-क्या मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, बतलाने का कष्ट करेंगे:-

(अ) राजस्थान की किन किन म्युनिसिपेलिटी के सदस्यों के विरुद्ध सरकारी व जनता के रुपयों का दुरुपयोग करने की शिकायतें सरकार के पास विचाराधीन हैं।

(ब) उनमें सबसे पुरानी किस तारीख की है?

श्री रामकरण जोशी:-(अ) १. अध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड, जोबनेर।

२. भूतपूर्व अध्यक्ष, मुनिसिपल बोर्ड चूरू।

३. अध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड जालोर।

४. श्री मदनमोहन मूंदड़ा, भूतपूर्व मेम्बर म्युनिसिपल बोर्ड कोटा।

(ब) इनमें सबसे पुरानी शिकायत अध्यक्ष म्यु० बो० जोबनेर की है जो दिनांक २४-१२-४९ की है।

श्री भैरूंसिंह:-ये शिकायतें इतने दिनों से विचाराधीन क्यों हैं।

श्री रामकरण जोशी:-इस के बारे में मैं यह पढ़कर सुना देता हूं:-

"On receipt of a complaint on the 24th December, 1949, regarding the misappropriation of Government funds by the Chairman, Municipal Board, Jobner, the Accountant-General was asked to check the accounts of the Municipal Board and a charge sheet was framed after proper enquiry and given to the President on the 3rd September 1951 to show cause why action should not be taken against him under section 10 of the Jaipur State Town Municipal Act, 1947. The President repudiated the charges and made counter-allegations. The Director of Local Bodies was then asked to express his views in the matter on the 28th September, 1951. He replied on the 21st September 1952 that the Chairman was called several times but he did not come. Since the Board has been dissolved, no purpose will be served by calling the Chairman now."

इसलिए अब इस पर मुकद्दमा चल रहा है ।

श्री भैंरूसिंह:-हिन्दी में अनुवाद करके सुनादें तो ठीक होगा क्योंकि मैं English को जल्दी follow नहीं कर सकता ।

श्री अध्यक्ष:--Does not arise.

श्री भैंरूसिंह:-जिन सदस्यों के खिलाफ शिकायतें हैं वे किन किन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्री रामकरण जोशी:--बस वे बोर्ड के सदस्य हैं । संस्था के प्रतिनिधित्व से आपका क्या मतलब है? मैंने इस तरह की जांच नहीं की है ।

श्री मानसिंह:-क्या वे अब भी Boards के मेम्बर हैं ?

श्री रामकरण जोशी:-नहीं । उन पर मुकद्दमे चल रहे हैं ।

श्री मानसिंह:-क्या सब पर मुकद्दमें चल रहे हैं ।

श्री रामकरण जोशी:-जोबनेर वालों के खिलाफ और मूंदड़ा के खिलाफ मुकद्दमें चल रहे हैं और कइयों के खिलाफ जांच चल रही है ।

श्री भरूसिंह:-पुलिस में या Court में ?

श्री रामकरण जोशी:-Court में

श्री अध्यक्ष:—Next.

प्रश्न सं० २४६

श्री कानसिंह:-(क) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९-५० में बीकानेर, जोधपुर और जयपुर शहरों में महकमा बागायत के बजट में क्या २ रकम रखी हुई थी ?

(ख) सन् १९५२-५३ में उपरोक्त शहरों के बागायत में क्या रकम रखी गई है ?

(ग) क्या यह बात गवर्नमेन्ट के ध्यान में है कि बीकानेर में इस वक्त कोई भी बाग अपनी असली हरी भरी हालत में नहीं है जिससे जनता में बड़ा भारी असन्तोष है । अगर है तो क्या सरकार इस असन्तोष को मिटाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री भोलानाथ:–सन् १९४९–५० और १९५२–५३ के आंकड़े इस प्रकार हैं:–

	बजट १९४९–५०	बजट १९५२–५३
जयपुर	२३४७८८) रु०	१२९०००) रु०
जोधपुर	१९९८७०) रु०	९३९१४) रु०
बीकानेर	१०४२४४) रु०	५२२०८) रु०

श्री जसवन्तसिंह:–बीकानेर में जो यह रकम २ लाख से घटा कर ५२०००) रु० कर दी गई है; इसका क्या कारण है। क्या सरकार यह महसूस करती है कि वहां पहले से ज्यादा हरियाली होरही है ?

श्री भोलानाथ:–लगभग एक लाख रुपये की लागत के बाग बगीचे बागायत महकमे से ट्रांसफर कर दिये गये हैं।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में जब वे दौरे पर बीकानर पधारे थे तो क्या उनको बीकानर का बाग जो सर्वोत्तम बाग कहा जाता है, की हालत को देख कर संतोष हुआ ?

श्री भोलानाथ:–मुझे उसकी हालत को देख कर अधिक संतोष तो हुआ नहीं कह सकता लेकिन यह कहूंगा कि जो कमियें हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या जो मंजूरी दी गई है वह पर्याप्त है ?

श्री भोलानाथ:–५२ हजार रुपये पब्लिक गार्डन पर खर्च करने के लिये मंजूरी दी गई है और दूसरे जो विभागीय बाग थे वे इधर उधर ट्रान्सफर कर दिये गये हैं।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४९-५० में कितने बागवान थे और अब कितने हैं ?

श्री भोलानाथ:–बजट में ५० प्रतिशत कमी हुई है और उसके अनुसार बागवान और दूसरे मजदूर आदि सभी कम कर दिये गये हैं।

श्री जसवंतसिंह:–क्या इतने आदमी कम करके बाग को ठीक हालत में रखने का प्रयत्न किया गया है

श्री भोलानाथ:–(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कानसिंह:–क्या जिस प्रकार बजट में ५० प्रतिशत कमी की गई है वह जोधपुर और जयपुर में भी की गई है ?

श्री भोलानाथः–हां।

एक सदस्यः–क्या उदयपुर में भी बागायत में कमी की गई है ?

श्री भोलानाथः–जो ५० प्रतिशत गवर्नमेंट की तरफ से कटौती हुई है उसका असर सभी पर होगा।

श्री मोतीरामः क्या पुरानी राजधानियों के अलावा भी कहीं बाग हैं ?

श्री भोलानाथः- जरूर हैं।

श्री संतोषसिंहः–क्या सरकार यह बतलाएगी कि जो स्टाफ कम किया गया है कितने वर्षों के पुराने मुलाजिम थे ?

श्री भोलानाथः--उनको रिट्रेंचमेन्ट रूल्स के अनुसार ही हटाया गया है ?

एक सदस्यः–क्या देसूरी में भी कोई गार्डन है ?

श्री भोलानाथः–मुझे मालूम नहीं।

एक सदस्यः–क्या सरकार को यह मालूम है कि पब्लिक गार्डन्स में भी प्राइवेट आदमियों को काश्त करने के लिये जमीनें दी गई हैं ?

श्री भोलानाथः–मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। यदि आप बतावेंगे तो मैं उसकी तहकीकात करूंगा।

एक सदस्यः–कोटा में प्राइवेट आदमियों को इस प्रकार जमीन काश्त के लिये दी गई है ?

श्री कानसिंहः–क्या रिट्रेन्चमेंट में ऐसे रूल्स हैं कि नये आदमियों को भर्ती किये जावें और पुराने आदमियों को निकाल दिया जावे ?

श्री भोलानाथः–ऐसे कोई नियम नहीं हैं कि पुरानों को निकाल कर नयों को भर्ती किया जावे।

श्री कानसिंहः–फिर ऐसा क्यों किया गया ?

श्री भोलानाथः–खास शिकायत आने पर उस पर गौर किया जाएगा।

श्री खेतसिंहः–आपके ध्यान में कौन कौन से गार्डन्स संतोषजनक कंडीशन में

श्री भोलानाथ:—"संतोषजनक" एक ऐसी टर्म है जिसका ठीक २ वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यवस्था की नजर से देखा जाता है तो यह कह सकता हूं कि व्यवस्था ठीक हो रही है।

एक सदस्य:—क्या जो लोग हटाये गये हैं उनको पेन्शन दी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर, ऑर्डर ?

प्रश्न सं० २४७

श्री कानसिंह:—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) प्लानिंग कमीशन की योजना को लागू करने के लिये जो कान्फ्रेन्स साल हाल में बुलाई गई थी उसमें निमंत्रित व्यक्तियों को किस योग्यता और किस आधार पर निमंत्रित किया गया था ?

(ख) क्या उनकी सूची सदन के सामने रखेंगे ?

(ग) विरोधी दल का एक भी सदस्य उसमें नहीं लिया गया, उसका क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—(क) पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो कान्फ्रेस बुलाई गई थी उसके लिए निमन्त्रण किसी खास आधार पर नहीं दिया गया था। जब यह प्रतीत हुआ कि पंच वर्षीय योजना में जो रकम राजस्थान के लिए स्वीकार की गई है वह यहां की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है और इनको पूरी करने को और मांग रक्खी जावे, तो यह उचित समझा कि उन लोगों से जो इसमें रुचि रखते हों, परामर्श किया जावे। अतः व्यौपारी व अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों, कुछ धारा सभा व लोक सभा के सदस्यों व सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों की एक कान्फ्रेस बुलाई गई।

(ख) सूची इस प्रकार है (सूची प्राप्त नहीं हुई)

(ग) यह सही नहीं है। विरोधी दल के कई सदस्यों को बुलाया गया था।

श्री मानसिंह:—क्या सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि धारा सभा के सभी सदस्यों को शिष्टाचार के नाते बुलाते ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—वह कान्फ्रेंस काम करने के लिये बुलाई गई थी न कि शिष्टाचार के लिये बुलाई गई थी; योग्य व्यक्तियों को बुलाया गया था।

श्री माधोसिंह:—क्या दूसरे एम.एल.एज. को बेकार समझा गया ?

श्री मानसिंह:-क्या लीडर ऑफ दी हाउस ने ऐसा समझा था कि दूसरे लोग पंच-वर्षीय योजना में दिलचस्पी नहीं रखते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:-दिलचस्पी रखने वाले हो सकते हैं मगर उपयोगी थोड़े ही हो सकते हैं।

श्री मानसिंह:-जो सदस्य बुलाये गये थे वे किस क्राइटेरियन से बुलाये गये थे ?

श्री कानसिंह:-विरोधी दल के कितने सदस्य बुलाये गये थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल:-संख्या तो नहीं बता सकता लेकिन काफी अच्छा रिप्रेजेन्टेशन था।

श्री सन्तोषसिंह:-क्या सरकार का, कोई प्लानिंग कमेटी अब बनाने का विचार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:-हां, विचार है।

एक सदस्य:-क्या डिप्टी लीडर ने भी भाग लिया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल:-डिप्टी लीडर ने काफी दिलचस्पी से भाग लिया था।

श्री भैरूंसिंह:-धारा सभा के रामराज्य परिषद् के लीडर को क्यों नहीं बुलाया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल:-मुझे मालूम नहीं कि रामराज्य परिषद् के लीडर कौन हैं ?

प्रश्न सं० २४८

श्री कानसिंह:-क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:-

(क) गत साल यानी १९५१-५२ (के एण्ड में) महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर, ने गंगा थियेटर के अन्दर जो नाटक खेला था, और उस नाटक के द्वारा जो पैसा इकट्ठा हुआ, वह पैसा प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन को क्यों दिया गया ?

(ख) क्या वह पैसा सरकार की मंजूरी से या सरकार के नोटिस में लाकर दिया गया ? अगर इस तरह से दिया गया है, तो क्या सरकार उस पैसे का हिसाब इस सदन के सामने रखेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-इस सवाल का जवाब पहले प्रश्न संख्या ६३ में दिया जा चुका है।

श्री कानसिंह:–इस विषय में पहले कोई प्रश्न नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष:- It has been referred to. The question will not be repeated in this house.

श्री कानसिंह:–बीकानेर का प्रश्न तो मैंने ही पहले पूछा है।

श्री नाथूराम मिर्धा:–प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर में इसका जवाब दिया जा चुका है, फिर इस पर क्यों जोर दिया जा रहा है ?

श्री कपिलदेव:–इसका जवाब दुबारा दे दिया जाए तो अच्छा हो। हमें उस पर बहुत सारे सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछने हैं।

श्री अध्यक्ष:–That is not the way.

एक सदस्य:–क्या "जोर" शब्द अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है ? में प्रेस करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप अपना रूलिंग दें।

श्री अध्यक्ष:–Order. Don't be sentimental.

प्रश्न संख्या २४६

श्री कानसिंह:–क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे:–

तहसील नोखा मंडी में तहसील की इमारत व पुलिस के थाने की इमारत बनाने का सवाल अर्से से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इमारतें बनाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। क्या सरकार अब जल्दी से जल्दी उपरोक्त इमारतें बनाने का इन्तजाम करेगी।

श्री भोलानाथ:–तहसील नोखा मंडी में तहसील की इमारत व पुलिस के थाने की इमारत बनाने का सवाल उस समय आएगा जब कि फण्डस उपलब्ध होंगे। सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इस काम को हाथ में नहीं लिया गया ; अब शीघ्र ही लिया जायगा।

श्री कानसिंह:–कितने अर्से के बाद लिया जायगा ?

श्री भोलानाथ:–शीघ्र ही लिया जाएगा।

श्री जसवन्तसिंह:–अध्यक्ष महोदय, जिस किसी योजना का सवाल उठाया जाता है तो माननीय मंत्रीजी हमारी आर्थिक स्थिति का सवाल सामने रख देते हैं। क्या वह बतलाने की कृपा करेंगे कि कभी इस प्रान्त का अर्थ–विभाग ठीक भी होगा ?

एक सदस्य:–बगैर मुआवजे जागीर खतम हो जायगी तब ठीक हो जायगा ?

एक सदस्य:--यह नये मंत्री कौन से हुए हैं बतलाया जाय ?

श्री कपिलदेव:--यह मंत्री की नहीं, सदन के एक सदस्य की राय है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी: Are supplementaries permissible on this answer? Then I should like to put a few questions.

श्री अध्यक्ष:- You can put supplementaries to the main question.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I want to put suppplementaries to the answer that has been given by the Hon'ble Minister.

श्री अध्यक्ष:-No, supplementaries are always to the main Question.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-I submit, Sir, supplementaries can also be put on matters arising out of the reply. The answer has been given and certain questions arise out of that answer. I submit that supplementaries might well be allowed.

श्री अध्यक्ष:-Then bring your supplementaries.

श्री मोतीराम:-On a Point of Order, Sir...... ....

श्री अध्यक्ष:—Have some patience.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-क्या सम्बन्धित मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जागीरी समस्या का हल होने पर यानी जागीरों के पुनर्ग्रहण में राजस्थान में कितनी अधिक आमदनी होगी ?

श्री कपिलदेव:—It is not relevant to this.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—It is not for you to say that it is irrelevant.

श्री अध्यक्ष:--It is his right to object.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-एक माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि बिना मुआवजे के अगर जागीरदारी समाप्त हो तो आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इस अर्थ में अगर यह चीज संभव है तो निश्चित ही प्रान्त की आर्थिक स्थिति को सुधरने में बहुत बल मिलेगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-क्या सरकार की यही नीति है जैसा कि अभी इस हाउस में, कहा गया है कि जागीरों का पुनर्ग्रहण बगैर मुआवजे के किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष:—Questions of policy cannot be answered.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--My question is that the Rajasthan Government does not propose to resume jagirs except on the footing of compensation and it is no use on the part of the Hon'ble Member of the Government who has given the answer to say that if no compensation is given, then our finances are going to improve. Assuming, and rightly assuming, that compensation will be given. (बाधा) My question is, assuming, and correctly assuming, that compensation has to be given to the Jagirdars, I should like to know from the Government what amount of income do we expect shall accrue due to the State out of the resumption of Jagirs.

श्री कपिलदेव:–अध्यक्ष महोदय! हम आपका रूलिंग चाहते हैं कि यह सवाल रिलेवेन्ट है।

श्री अध्यक्ष:—Order, Order! This is not relevant to the main question, but the Hon'ble Leader of the House is prepared to answer.

श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय! अभी सदन में इस ओर से एक सदस्य ने एक क्वेश्चन के जवाब में जो बताया था वह उनकी भावना थी। साथ ही में समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा वह कुछ हद तक सही भी है। प्रान्त की आर्थिक स्थिति ठीक रखने में जिन जिन उपायों का अवलंबन लिया जा रहा है उनमें से जागीर पुनर्ग्रहण भी एक उपाय है और इसके पूर्ण होने पर निश्चित रूप से प्रान्त की आर्थिक अवस्था सुधरने वाली है। तुरन्त ही उसका कोई बड़ा भारी असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जागीरदारों को मुआवजा दिया जायगा। सरकारी नीति मुआवजा देने की है, किन्तु उस ओर के कुछ सदस्यों को प्रान्त की आर्थिक स्थिति सुधारने की बहुत चिन्ता मालूम होती है। मैं सराहना करता हूं उनकी चिन्ता की; अगर वह बिला किसी मुआवजे के ही अपनी जागीरें छोड़ दें। (करतलध्वनि) उस हद तक न केवल सरकार ही बल्कि इस प्रान्त की जनता भी उनके लिए कृतज्ञ होगी; उस कंट्रीब्यूशन के लिए जो वह प्रान्त की आर्थिक स्थिति को सुधारने में करेंगे। बहरहाल तुरन्त ही तो कोई आर्थिक लाभ प्रान्त की सरकार को नहीं होगा, किन्तु कुछ समय के बाद निश्चित रूप से आर्थिक असर सरकार की आमदनी पर पड़ेगा, किसानों की भी स्थिति ठीक होगी, जिससे अल्टीमेटली आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

श्री जसवन्तसिंह:–अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बड़े महत्व की

एक सदस्य:—You may ask a question and not give a statement.

श्री जसवंतसिंह:—I am asking a question.

श्री इन्द्रनाथ मोदी--Instead of answering my question, he made a statement which was scarcely to the point.

श्री अध्यक्ष: --Then I will have to end this controversy.

प्रश्न सं० २५०

श्री संग्रामसिंह (वि. सं. १३४):--क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवगढ़ से तहसील उठाई जा रही है; यदि हां तो क्यों ?

श्री टीकाराम पालीवाल:--ऐसा कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न सं० २५१

श्री संग्रामसिंह:--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भीम डिविजन दोलतपुरे का तालाब कितनी दफा फूटा और कितनी रकम उस पर खर्च की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या:--यह प्रश्न सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से पूछा गया था. किन्तु इसका सम्बन्ध मुझसे है इसलिये में जवाब दे रहा हूं ।

इसमें यह जो पूछा है तो उसमें दोलतपुरा नाम का कोई तालाब नहीं है । शायद माननीय सदस्य का मतलब धोलपुरे तालाब से हो, जो जागीरी इलाके में है यह तालाब एक बार फूटा था । उसमें ४२ हजार रुपये की रकम खर्च हुई थी ।

प्रश्न सं० २५२

श्री संग्रामसिंह (वि. सं. १३४):--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भीम डिविजन में दौलतपुरे के नाले पर अब तक कुल कितनी रकम खर्च करदी गई है और वह बार बार क्यों टूट जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:--यह तालाब एक बार टूटा था और उस पर ४२ हजार रुपये खर्च हुए थे । इस प्रश्न में भी वही बात पूछी थी ।

श्री संग्रामसिंह:--इस पर २-३ मर्तबा काम हुआ था ?

श्री भोगीलाल पंड्या:--केवल एक बार मरम्मत हुई । मैंने बराबर इसकी जांच करली है ।

प्रश्न सं० ७५३

श्री संग्रामसिंह (वि. सं. १३४):—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सोपरी के बांध की योजना कबसे चल रही है और उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है? (जब कि हजारों बीघे जमीन कि जिससे सिंचाई हो सकती है फिर) उसे पंच वर्षीय योजना में क्यों नहीं लिया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या:—इस प्रश्न का भी मुझसे सम्बन्ध है इसलिये मैं ही जवाब दे रहा हूं।

माननीय सदस्य का मतलब शायद खारी बांध योजना से है। यह कार्य पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था। इस पर १५ लाख रुपये खर्च होंगे। पंचवर्षीय योजना में केवल सर्वे व अन्य जांच कार्यों के लिये ही रकम रखी गई थी। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के पास इस योजना के प्लान और एस्टिमेट भेज दिये हैं। इसकी सेन्ट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन जांच कर रहा है। मन्जूरी आने पर व रुपये के उपलब्ध होने पर कार्य शुरू किया जा सकता है।

श्री संग्रामसिंह:—इस पर कब तक काम जारी हो सकेगा?

श्री भोगीलाल पंड्या:—अपनी ओर से सारी योजना तैयार करके भेज दी गई है। इसमें पन्द्रह लाख रुपये खर्च होंगे और ११ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। भारत सरकार से मांग की गई है। वह रुपया मिलेगा जब काम शुरू होगा।

श्री अवनिकुमार:—कब तक यह रुपया मिल जायगा?

श्री भोगीलाल पंड्या:—भारत सरकार जब रुपया देने की स्थिति में होगी तब सन् १९५५–५६ के बाद ही यह कार्य शुरू किया जा सकता है। राजस्थान सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है कि ५५–५६ के पहले वह रुपया मिल जाय।

श्री मोतीलाल:—राजस्थान में तो ५ ही डिविजन हैं फिर यह भीम डिविजन कौन सा है?

श्री भोगीलाल पंड्या:—यह तो मैंने पहले बताया था कि प्रश्न पूछने में २–४ बातों की खामियें थीं, वह मैंने बतलाई नहीं। भीम कोई डिविजन नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद:—तो क्या सब–डिविजन है?

श्री भोगीलाल पंड्या:—मैंने आपको बतलाया था कि भीम सब–डिविजन है।

प्रश्न सं० २५४

श्री संग्रामसिंह:—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ढाणा का तालाब आडी वाटका की मरम्मत के लिये जब सरकार ने ६०००) रु० की रकम की मंजूरी दे दी है फिर मरम्मत का कार्य शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंडया:—यह एक छोटा सा काम है; जानवरों के पीने के पानी के लिए तालाब बनाने का है। इसके लिये इस साल सिंचाई विभाग के बजट में कोई रकम मंजूर नहीं की गई है।

प्रश्न सं० २५५

श्री संग्रामसिंह:—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भीम डिविजन के आंदरडाह में दो माइल सड़क का टुकड़ा बनाने के लिये गांव वालों ने सैकड़ों दरख्वास्तें दी हैं, वहां बहुत सी गाड़ियां निकलती हैं, बैलों को कष्ट होता है ?

क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

श्री भोलानाथ:—काफी दरख्वास्तों का आना तो नहीं पाया जाता है। १ महीने पूर्व में दौरे पर उस तरफ गया था तो वहां की जनता ने सड़क के निर्माण के लिए अवश्य कहा था; जिसके फलस्वरूप अनुमानित व्यय निकालने के लिए आज्ञा दे दी है। उसके प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाई की जायगी।

प्रश्न संख्या २५६

श्री अवनिकुमार:—Will the Education Minister be pleased to state.—

(a) Whether an official of Education Department in the Bikaner Division ordered things from Saharanpur and Calcutta and paid double the price for the things concerned ?

(b) Whether the same things were purchased by another official for half the price ?

श्री ना राम मिर्धा:—(a) No.

(b) No.

प्रश्न संख्या २५७

Shri H. K. Vyas:—Will the Hon'ble Minister for Labour be pleased to answer:—

(a) On what day did Shri Dave, relinquish his charge as Industrial Tribunal ?

(b) Has any other Industrial Tribunal been appointed in his place to adjudicate on the matters pending before the former Industrial Tribunal? If so, on what date?

(c) Is it a fact that the Labour Union of Pali has expressed deep resentment at this inordinate delay?

(d) Does the Government consider that this delay was unavoidable; If so, will the Government place all the relevant facts before this house?

श्री रामकरण जोशी:-(क) श्री डी० एस० दवे ने इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जज के पद से दिनांक १४ जुलाई १९५२ को चार्ज छोड़ा।

(ख) श्री लक्ष्मीदान और श्री किशनलाल धाबाई, आर० जे० एस०, क्रमश: पाली और भीलवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज, पाली और भीलवाड़ा के औद्योगिक झगड़ों का निर्णय करने के लिए ७ अक्टूबर १९५२ को नियुक्त किये गये हैं।

(ग) पाली लेबर यूनियन की ओर से इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र इस विभाग में प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री एच. के. व्यास:-क्या सरकार ने प्रान्तीय इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल स्थापित करने का फसला बदल दिया है?

श्री रामकरण जोशी:-पाली और भीलवाड़ा दोनों जगह औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए आदमी नियुक्त कर दिये गये हैं।

श्री एच. के. व्यास:-मेरा प्रश्न यह है कि प्रान्तीय इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल मुकर्रर करने के बारे में सरकार ने अपनी नीति बदल दी है?

श्री रामकरण जोशी:-नहीं।

श्री एच. के. व्यास:-इस मामले में जल्दी क्यों नहीं की गई?

श्री रामकरण जोशी:-सरकार अपनी तरफ से जल्दी ही कर रही है।

श्री एच. के. व्यास:-यह इतनी देरी हुई है तो उस समय के बीच किसी प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन्सस नहीं आये?

श्री रामकरण जोशी:-जहां के रिप्रेजेन्टेशन आये हैं वहां इन्तजाम कर दिया गया है।

श्री एच. के. व्यास:—माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि १४ जुलाई को चार्ज रिलिन्क्विश किया और ७ अक्टूबर को नये जज की नियुक्ति हुई। इस दरमियानी समय में सरकार के पास कोई रिप्रेजेन्टेशन आया या नहीं ?

श्री रामकृष्ण जोशी:— नहीं आया ।

श्री एच. के. व्यास:—क्या सरकार बगैर रिप्रेजेन्टेशन के इतनी देरी को वाजिब समझती है ?

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर, ऑर्डर !

प्रश्न संख्या २५८

श्री एच. के. व्यास:—Will the Minister for Local Self Government be pleased to answer —

(a) Is it a fact that according to the Settlement records a boarder of 19 Bighas land has been kept for the tank Maulani near the railway Station Sardarshahar ?

(b) Is it a fact that the Government has given patta to some people in this land claimed to be reserved as a boarder for the tank.

(c) Is the Government aware that it is causing grave inconvenience to the people of the locality ?

(d) Does the Government intend to cancel the pattas now in view of the need for this land for public purposes ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया – (a) No such entry could be found true.

(b) A patta was granted by the Bikaner State.

(c) There is a dispute between two local parties. No grave inconvenience is being caused to the people.

(d) The matter is under consideration.

श्री एच. के. व्यास:—Is the Government aware of a decision made by the former Bikaner State Government on this point ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—No.

श्री एच. के. व्यास:—Would the Government agree to make enquiries and to find out whether such decision has been made ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–अगर इस बारे में कोई विशेष बात होगी तो जानकारी कर ली जायगी।

प्रश्न सं० २५६

श्री एच. के. व्यास:—Will the **Minister for Local Self-Government** be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that some land near the Railway Station Ganganagar was allotted for distribution amongst refugees at nominal cost as per decision of Shri A. P. Jain on 24-2-1951..

(*b*) Is it a fact that this very land has now been given to Shri Lachhiram, President, City Congress Committee ?

(*c*) Is it a fact that some people offered for this land about 4 lacs of rupees ?

(*d*) Is it a fact that this land has been given to Shri Lachhiram at about 6 thousand rupees cost ?

(*e*) Will the Government order an enquiry into this affair ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—(a) No.

(b) Plots in Ganganagar were given to Shri Lachhiram for his sugar factory as equal area in exchange of the industrial plot was given. It was allotted to him by the former Bikaner Government.

श्री एच. के. व्यास:- The plots were allotted to him by the former Bikaner Government and it is very unsatisfactory reply that these plots were exchanged with other plots.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—No.

श्री एच. के. व्यास:—Is the Government aware that the refugees of this area have a copy of the order dated 24-2-1951 which has been referred to in this question ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—I have already told that the reply is in the negative.

श्री एच. के. व्यास:- Will the Government be prepared to reconsider the whole case after I make a copy of that order available to the Government.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—I shall then consider on that.

प्रश्न संख्या २६०

श्री शंभूसिंह:—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि (अ) भीलवाड़ा जिले के रायपुर और गंगापुर जहां सरकार के द्वारा हाई स्कूल खोलने का आश्वासन मिलने पर वहां की जनता ने हाई स्कूल के निमित्त इमारतें भी बना दी वहां हाई स्कूलें कब खोल दी जावेंगी ? (ब) इस कार्य—हेतु बजट में कितनी मद रक्खी गई है और विलम्ब होने का क्या करण हुआ ?

श्री नाथूराम मर्धा:—रायपुर और गंगापुर की स्कूलों को, आर्थिक तंगी के कारण, हाई स्कूलें नहीं बनाया जा सका। यदि आर्थिक अवस्था अनुकूल हुई तो उनके मामले पर आगामी वर्ष योग्यता के आधार पर विचार किया जायगा। चालू वर्ष के बजट में उक्त स्कूलों के स्तर को ऊंचा करने के लिए कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं की गई थी।

श्री शंभूसिंह:—इस विषय का कोई रिप्रेजेन्टेशन आपके पास आया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—रिप्रेजेन्टेशन की तौर पर आप खुद ही पधारे थे।

श्री शंभूसिंह:—नागरिकों द्वारा इस विषय में कोई रिप्रेजेन्टेशन आपके सामने आया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—आप खद ही पधार गये; इससे बड़ा नागरिकों का रिप्रेजेन्टेशन और क्या हो सकता है।

श्री शंभूसिंह:—क्या सरकार एड में से कुछ एड वहां के लिए नहीं दे सकती ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—वह कोई प्राइवेट इन्स्टिटयूशन नहीं है; प्राइवेट इन्स्टिटयूशन को एड दी जाती है।

श्री शंभूसिंह:—सरकार उस मकान को उपयोग में लेकर उसका किराया देती रहेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मेरे ख्याल से मकान अपने उपयोग के लिए बनाया है; किराये का प्रश्न पैदा ही नहीं होता ?

श्री शंभूसिंह:—क्या वह मकान सरकार के आश्वासन देने पर नहीं बनाया

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जसवन्तसिंह:—प्रश्न कर्ता के अलावा और कोई डेप्यूटेशन माननीय मंत्री महोदय के पास आया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–रिप्रेजेन्टेशन बहुत आये; इतने बड़े रिप्रेजेन्टेशन आप खुद ही आगये तो उसमें सब आगया।

प्रश्न सं० २६१

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६):–क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) तहसील दांता रामगढ़ में कितने सरकारी औषधालय एवं हॉस्पिटल हैं ?

(ब) क्या सरकार इस प्रबन्ध को जनता की सेवा के लिए पर्याप्त समझती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका उचित प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ?

श्री रामकिशोर व्यास:–तहसील दांता रामगढ़ में दो औषधालय और एक डिस्पेन्सरी है। वहां की जनता की नये औषधालय खोलने की मांग आयी थी लेकिन आर्थिक कमी के कारण नहीं खोली जा सकी।

श्री कपिलदेव:–यह डिस्पेन्सरी आदमियों की है या जानवरों की।

श्री रामकिशोर व्यास:–आदमियों की है।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या वहां पर पर्याप्त मात्रा में औषधियां, पट्टियां वगैरह मिलती हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास:–जरूर मिलती हैं।

श्री एच. के. व्यास:–क्या सरकार गवर्नमेन्ट प्रेस से एक स्टेण्डर्ड बुकलेट छपवा देगी कि फलों काम आर्थिक कठिनाई की वजह से नहीं किया जासकता।

श्री अध्यक्ष:–ऑर्डर! ऑर्डर!

प्रश्न सं० २६२

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६):–क्या मंत्री महोदय पुनः संस्थापन विभाग, बतलाने का कष्ट करेंगे:–

(अ) राजस्थान प्रान्त के निर्माण के पश्चात् कितने सरकारी मुलाजमान इन्टेन्डिंग इवेक्यूई घोषित किये गये ?

(ब) कितने मुलाजिम अपने ओहदे का चार्ज दिये बिना ही पाकिस्तान चले गये ?

(स) क्या कोई मुलाजिम सरकारी रकम भी लेकर पाकिस्तान गया है? यदि गया है तो कितनी ?

श्री अमृतलाल यादवः—राजस्थान बनने के बाद सरकारी मुलाजिमान जो इन्टेन्डिग इवेक्युई घोषित किये गये उनकी संख्या १७ है। इनमें से दो व्यक्ति बिना अपने पद का चार्ज संभलाये पाकिस्तान चले गये। निम्न लिखित दो व्यक्ति सरकारी रकम लेकर पाकिस्तान चले गये:—

तहसील धौलपुर से—लगभग १ लाख रुपया ले गये।

(२) श्री अब्दुलवहीद—ट्रेजरी ऑफिसर, जयपुर ये कितनी रकम ले गये इसका अभी पता नहीं चला है।

श्री संतोषसिंहः—कोई मुलाजिम जोधपुर से भी कुछ लेकर गया है?

श्री अमृतलाल यादवः—जो सूचना मेरे पास थी वह मैंने दी।

श्री टीकाराम पालीवालः—जोधपुर में प्रिकॉशन्स ज्यादा लिये गये थे इसलिये वहां से कोई रकम नहीं ले जा सके।

श्री संतोषसिंहः—जयपुर में क्या प्रिकॉशन्स नहीं लिये गये इसलिये यहां से रकम ले गये?

श्री टीकाराम पालीवालः—उस वक्त तक सरकार एलर्ट हो गई थी।

श्री जसवन्तसिंहः—रकम का अन्दाजा नहीं मिलने का क्या यह कारण समझा जाय कि रकम का हिसाब—किताब का रेकर्ड भी साथ ले गये?

श्री अमृतलाल यादवः—अभी तक एग्जेक्ट रकम का पता नहीं लग सका है?

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—सम्बन्धित अफसर जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि वह कितनी रकम लेकर यहां से गया है अन्दाज नहीं बताया जा सकता कि वह यहां से कितनी रकम ले गये और कब गये?

श्री अमृतलाल यादवः—कब किस तारीख को गया यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः-This is very relevent.

श्री अध्यक्षः-you must have come prepared.

श्री अमृतलाल यादवः—मैं बाद में बता सकता हूं।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः—I think, sir, this is a very legitimate question. You should call upon the Minister concerned to give a reply..........

श्री अध्यक्ष:—You can raise half an hour discussion.

एक सदस्य:—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इतनी सरकारी रकम ट्रेजरी और तहसीलदार के कब्जे में रहती है ?

श्री अमृतलाल यादव:—जी हां ।

श्री रामदयाल उपाध्याय:—यह भी हो सकता है कि इससे भी अधिक रकम....

श्री अध्यक्ष:—ओर्डर ! ओर्डर !

प्रश्न संख्या २६३

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६):—क्या मंत्री महोदय, पुनःसंस्थापन विभाग बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान में अब कितने मुलाजिम हैं जिनके खिलाफ इन्टेंडिन्ग इवक्युई होने के मुकद्दमे कस्टोडियन की अदालत में चल रहे हैं ?

(ख) क्या ऐसे मुलाजिमान को सस्पेन्ड कर दिया गया है ! यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अमृतलाल यादव:—(अ) दो केस निष्क्रान्ति क कस्टोडियन की अदालत मे चल रहे हैं ।

(ब) तीन व्यक्तियों को मौअत्तिल किया जा चुका है ।

श्री कपिलदेव:—क्या उनके नाम बता दिये जावेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव:—नाम पूछे नहीं गये थे; बाद में बता सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष:—This is relevant.

श्री अमृतलाल यादव:—नाम मुझे अभी मालूम नही है; बाद में बता सकता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—क्या यह समझा जाय कि बगैर नाम के ही सूचना मिल गई है । नाम नहीं मालूम होने पर भी मालूम है कि तीन आदमी सस्पेन्ड कर दिय गये ।

श्री मानसिंह:—इन सवालों का जवाब मंत्री महोदय देखते नहीं हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर

श्री मानसिंह:—इसमें कम से कम ....

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर ! नेक्स्ट।

श्री भैरूंसिंह:—क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पी. ए. भी इसमें एन्टेंगल्ड किये गये थे ? क्या उन्हें सस्पेन्ड कर दिया गया या नहीं ?

श्री कपिलदेव:—क्या उन्हें इन्टेन्डिग इवेक्युई घोषित किया गया ? यदि घोषित कर दिया गया तो क्या वे अभी भी तनख्वाह पा रहे हैं ।

श्री टीकाराम पालीवाल:—यदि कोई इन्स्टान्स बताया जाय तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं ।

श्री कपिलदेव:—जवाब अब मुख्य मंत्री महोदय को देना पड़ेगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन्टेन्डिग इवेक्युई घोषित किये जा चुकने पर भी क्या उनको तनख्वाह मिल रही है ।

श्री अध्यक्ष:-You are giving information rather than seeking it.

श्री भैरूंसिंह:—मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री के पी. ए. को इन्टेन्डिग इवेक्युई घोषित नहीं किया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—नहीं । घोषित नहीं किया गया था ।

श्री भैरूंसिंह:—तो क्या वे पी० ए० नहीं थे ।

श्री टीकाराम पालीवाल:—वे प्रिन्सिपल प्राइवेट सेक्रेटरी थे ।

श्री भैरूंसिंह:—तो क्या उनको इन्टेडिंग इवेक्युई घोषित किया गया था ।

श्री टीकाराम पालीवाल:—उनकी अपील पेन्डिग है ।

श्री भैरूंसिंह:—उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—आवश्यकता नहीं समझी गई ।

श्री भैरूंसिंह:—क्या यह नहीं हो सकता है कि वे पहले ही पाकिस्तान चले जायं ?

श्री अध्यक्ष:—This a Question of opinion. Next.

अल्पकाल सूचना प्रश्न

श्री तेजमल बापना:--(लिखित पढ़कर सुनाने लगना)

श्री रामकिशोर व्यास:- Why he should read the Question ?

श्री अध्यक्ष:—According to rules it must be read.

श्री तेजमल बापना:--क्या वाणिज्य व व्यवसाय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:--

(क) क्या राजस्थान सरकार ने माईका लीज की मोनोपोली सिस्टम को समाप्त कर देने के उद्देश्य को स्वीकार कर लिया है ?

(ख) क्या भीलवाडा वाले मेसर्स श्री पुषालाल मानसिंह १५ (पन्द्रह) वर्ष से ४००० (चार हजार) स्क्वेयर माईका के एरिया की मोनोपोली का उपभोग कर रहे हैं ?

(ग) क्या उनकी मोनोपोली ३१ अक्टूबर, १९५२ को समाप्त हो रही है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि चन्द मरजीदां केवल मजदूरों की बेकारी का बहाना लेकर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उद्देश्य के विरुद्ध इस असाधारण मोनोपोली की अवधि बढ़ादी जाय ।

(ङ) क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि विशाल क्षेत्र की १५ वर्ष से उपभोग की हुई यह मोनोपोली बढ़ादी जाय ?

(च) क्या सरकार को यह मालूम है कि यदि अवधि बढ़ाई गई तो उपरोक्त फर्म की ओर से यह साजिशें की जारही हैं कि जितनी अच्छी खानें हैं वे नष्ट कर दी जायं जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति के नकसान की कोई तुलना नहीं हो सकेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास:--(क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) लीज ३१-१०-५२ को समाप्त हो रही है।

(घ) नहीं।

(ङ) नहीं।

(च) अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है और न इस प्रकार की कोई सूचना ही है कि खानों को खराब करने की साजिश की जा रही है ।

राजस्थान अभ्यस्त अपराधी विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष:--Next.

श्री टीकाराम पालीवाल:-मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभ्यस्त अपराधी विधेयक, १९५२, को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं ....

१. मैं स्वयं।
२. श्री नाथूराम मिर्धा
३. श्री हरलालसिंह
४. श्री किशनलाल शाह
५. श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा
६. श्री भगवान सहाय तरंगी
७. श्री छोटूसिंह
८. श्री सोहनलाल भटनागर
९. श्री तनसिंह
१०. श्री मानसिंह
११. श्री जगतसिंह
१२. श्री गंगासिंह
१३. श्री जवानसिंह
१४. डाक्टर श्री मंगलसिंह
१५. एडवोकेट जनरल।

श्री इन्द्रनाथ मोदी—There is one legal point and that is this that we have not been receiving the agenda for the day's meeting IN GOOD TIME and there is very little time for us to prepare for the following day's work. It is not in a spirit of complaint.. ..

श्री अध्यक्ष:—You had only come yesterday.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I am talking of today. Yesterday I received it at 7 O' clock in the night and I could hardly prepare myself for it. If we have to give our best in the House we must get our agenda well in time.

श्री अध्यक्ष:—This was only regarding today's agenda. It was being circulated for days and days earlier. Till yesterday it was only the outstanding business of the other days and so it was presumed that it was circulated long ago.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—As a matter of fact one day I did not receive the agenda at all. Any way, I would humbly submit that adequate arrangements should be made in future so that this trouble may cease.

श्री अध्यक्ष:—It will be sent a day earlier.

(विराम)

When should the Select Committee submit its report ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–I think it should not take more than two days.

श्री अध्यक्ष:—Two days ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—Three days. (After consultation) May submit on the 3rd.

श्री अध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य में अभ्यस्त अपराधियों के संनिरीक्षण (चौकसी) तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने वाला विधेयक प्रवर समिति को प्रस्तुत कर दिया जाय। वह अपनी रिपोर्ट ३ नवम्बर, १९५२, तक प्रस्तुत करें और जिसके सदस्य निम्न लिखित होंगे..

१. श्री टीकाराम पालीवाल
२. श्री नाथूराम मिर्धा
३. श्री हरलालसिंह
४. श्री किशनलाल शाह
५. श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा
६. श्री भगवान सहाय तरंगी
७. श्री छोटेसिंह
८. श्री सोहनलाल भटनागर
९. श्री तनसिंह
१०. श्री मानसिंह
११. श्री जगतसिंह
१२. श्री गंगासिंह
१३. श्री जवानसिंह
१४. डा. श्री मंगलसिंह
१५. एडवोकेट जनरल

श्री गंगासिंह:—अध्यक्ष महोदय, तारीख तीन तक यह रिपोर्ट पेश करने का कहा गया। १, २ तारीख की तो छुट्टियां आ गई हैं ? यह क्या सम्भव हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष:—Members object about the day.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—In matters of legislation, I think, there should be no hurry. We should have sufficient time There will be no purpose served by rushing legislation. Whatever we do we should do in a proper and thoughtful manner.

श्री टीकाराम पालीवाल: —At a later date then ? May be 4th.

श्री अध्यक्ष:—Then a week. That will do. It may submit the report on the 3rd or within a week.

श्री एच. के. व्यास:—Are you no permitting general discussion on this motion ?

श्री अध्यक्ष: —Well, the question has been put. You ought to have exercised your right earlier.

श्री एच. के. व्यास: —No, Sir. It was proposed simultaneously and I had waited for the time when the Hon'ble Member concerned would sit down and I will seek your permission.

श्री अध्यक्ष:—The question has been put and you should raise your objection when it comes.

(प्रस्ताव स्वीकृत)

राजस्थान विधि (सिरोही पर लागू होने वाला) विधेयक, १९५२.

श्री रामकिशोर व्यास:-मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान की कुछ विधियों (कानूनों) को सिरोही पर लागू करने की घोषणा करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष: Principles to be discussed ?

श्री जवानसिंह:–माननीय अध्यक्ष, प्रस्तुत विधेयक, जो सदन के सामने है उसमें जितने कानून बताये गये हैं वे तारीख २६ अक्तूबर, १९५०, से सिरोही जिले में रायज हैं और उसके पश्चात् से आज दिन तक वे कानून रायज हैं, लेकिन सरकार के ख्याल में कुछ ऐसे डाउट्स क्रिएट हो गये हैं और जहां तक न्यायालयों का सम्बन्ध है व जनता का संबन्ध है इस तरह का कोई संदेह पैदा नहीं हुआ है। लेकिन मालूम होता है कि सरकार के ख्याल में ऐसा संदेह पैदा हो गया है जिसकी वजह से यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक से पहले राजस्थान ऑर्डिनेन्सेज, १९५० और उसकी तहत में केन्द्रीय सरकार के काफी कानून पहले से ही लागू हैं और अब खास तौर से जो डिक्लेरेशन हो रहा है उस सिल सिले में भी सिरोही जिले में कुछ कानूनी उलझन पैदा हो रही है। इस विषय में मैं सदन को जानकारी के लिये कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सिरोही रियासत के वक्त से कुछ रूल्स ऐसे बने हुए हैं जिनका आधार किसी कानून पर नहीं है। दृष्टान्त के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कपूरबाव बेचान हक आदि कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं जिनका आधार किसी कानून से नहीं है। तारीख २६ जनवरी, सन् १९५० के दिन से जब कि सिरोही का मिलोनीकरण राजस्थान में हुआ तब से ही वे कानून रायज हैं। मौजूदा कानून के रायज होने के बावजूद भी इस तरह से सिरोही की जनता पर दुतर्फा वजन पड़ता रहा और आज तक पड़ता रहता आया है। इस सिलसिले में कुछ क्लेरिफिकेशन करना आवश्यक है। जैसे बेचान हक या कपूरबाव जो सक्सशन सर्टिफिकेट के नाम से पुकारा जाता है, ये दोनों चीजें एक ही हैं। किसी भी आदमी के निस्संतान फौत हो जाने पर पहले सरकार कपूरबाब वसूल करती है और उस पर निश्चित परसेन्टेज देना पड़ता है और उसके पश्चात् इंडियन सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उस समय फिर निश्चित रकम देनी पड़ती है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कतई खिलाफत नहीं करतीं। दोनों ही चीजें एक सी ही हैं और दो तरह रकम वसूल करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। इसलिये आज की बैठक शुरू होने से पहले मैंने संबंधित मंत्री महोदय से अर्ज किया था कि इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करदें ताकि पुराने कानून जो पहले से रायज हैं उन पर विचार किया जासके और नया कानून लागू होने से पेश्तर पुराने खत्म किये जा सकें। कोरेसपोन्डिंग लॉज के साथ कोरेस्पोन्डिंग रूल्स को भी ऐड किया जाता तो यह कानूनी उलझन मिट जाती; लेकिन उनके ख्याल में यह बात ठीक नहीं बैठी। इसलिये मुझे सदन से प्रार्थना करनी पड़ती है कि यह दुतरफी मार जो सिरोही की जनता पर पड़ती है वह न्यायोचित नहीं कही जा सकती और

इस तरह की चीज राजस्थान के किसी और हिस्से में नहीं है तो फिर क्या वजह है कि सारे राजस्थान में एक ही कानून माना जाय और किसी विशेष हिस्से में दो तरह से बोझ पड़ता रहे। मैं संबन्धित मंत्री महोदय से इस बारे में विशेष स्पष्टीकरण चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस मामले को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करें ताकि सारी बातें दुरुस्त हो जायं और सिरोही की जनता को न्याय मिले।

श्री अध्यक्ष:-Any other member.

(विराम)

No body perhaps.

श्री रामकिशोर व्यास:--जहां तक मैं समझा हूं मेरे लायक दोस्त का ऐतराज यह मालूम होता है कि सिरोही State में कुछ रूल्स पहले से चले आ रहे हैं, जो वहां अब भी नाफिज हैं। अतः यह जो बिल सदन के सामने उपस्थित है इसमें उनको Repeal करने का भी कोई प्रोविजन कर दिया जावे। मेरा यह निवेदन है कि यह जो Laws राजस्थान सरकार के हैं, और जिनको सिरोही पर लागू किये जाने का सवाल सदन के सामने दर-पेश है ये All India Laws पर based हैं। यह जब लागू हो जाते हैं तो दूसरे सभी Laws, बाई-लॉज इस सम्बन्ध के हैं वे अपने आप खत्म हो जाते हैं। उनके अलावा और कोई Rules या laws इसके लिए separate इनेक्टमेन्ट सिरोही स्टेट ने किये हों तो उनको गवर्नमेन्ट के नोटिस में लाया जाय।

इस बिल के जरिये तो कुछ कानून सिरोही स्टेट पर लागू किये जा रहे हैं, इसमें तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता।

इस बिल में कोई Provision रख कर उनको repeal नहीं किया जा सकता। आप ऐसे कानून, Rules सरकार के नोटिस में लायें जिनको हटाना सरकार के Power में होगा तो सरकार आप ही हटा देगी और जो Legislature में लाने के लायक होंगे उनको Legislature में लाया जायगा।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसे Select Committee में भेजने की जरूरत नहीं है। यहीं clause by clause पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष:-- I now put the question.

श्री जवानसिंह:—माननीय अध्यक्ष! मैंने इस बिल को Select Committee में भेजने के लिए जो अपना अमेन्डमेन्ट पेश किया है, उसके लिए press नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष:—So the Question is that the Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

श्री राम किशोर व्यास:–क्या मैं यह समझ लूं कि इस पर और कोई साहब नहीं बोल रहे हैं।

(विराम)

तो मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पास किया जावे।

श्री अध्यक्ष:—The question is that the Rajasthan Laws (Application to Sirohi) Bill, 1952, be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज़ अधिनियम (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष:—Next. Shri Ram Karan Joshi.

(विराम)

He must be in attendance.

श्री नाथूराम मिर्धा:–देहली से टेलीफोन आ गया था; उसे attend करने के लिए जोशीजी गये हुए हैं। उनकी ओर से मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज़ अधिनियम का और संशोधन करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष:—The motion is that the Jaipur District Boards ...

श्री एच. के व्यास: -On a point of order, Sir. In the proviso to rule 122 it is said that if such motion is made then any Member can object if a copy of the Bill has not been made available three clear days before the date on which it is taken for consideration. I submit, Sir, that copies of this Bill have been made available on the 29th and it was not three clear days before and so under Rule 122 I object to this motion being moved today.

श्री अध्यक्ष:-Is it rule 122.

श्री एच. के. व्यास: -Yes, Sir, rule 122.

श्री नाथूराम मिर्धा:–इस प्रोवीजो में Clear three days के नोटिस के साथ लिखा है कि Speaker के पॉवर में है कि वे इसे मूव करने की आज्ञा दें या न दें। यह साधारण बिल है और इसमें कोई विशेष बात नहीं है और कोई Controversial point भी नहीं............

श्री अध्यक्ष:--Is it not the right of the Members to object.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--It is a very valuable right, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा:-It is very valuable right, of course, and it has been exercised. किन्तु मैं इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को उठा कर देखेंगे तो मालूम होगा कि यह एक साधारण बिल है । इसमें कोई अमेन्डमेन्ट की या और कोई विशेष बात नहीं है । यह Controversial नहीं है; तो ऐसी सूरत में इसको आज ही विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष:--Still the members...........

श्री नाथूराम मिर्धा:--इसमें कोई Controversial बात नहीं है और कोई खास महत्व की बात नहीं है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-Therefore I understand the Bill is going to be a subject of some controversy in the House, and it is necessary to postpone the Bill to a future date.

It has to be done, so far as I know, there are some Members who want to object to the introduction.

श्री एच. के. व्यास:-There is one more point that I shall like to make it clear. Apart from the fact that the Bill is a controversial Bill or not, there would have been some point in giving some special consideration if some Hon'ble Member on behalf of the Government or Leader of the House gave a categorical assurance that on a future occasion such a thing will not be done. We have been noticing that things have not changed. (Interruption). About the discretion I cannot say; about the objection I have to say.

श्री अध्यक्ष:-(After verification). Information from my office says that the Bill was circulated on the 28th: it was laid in the Notice Office and was made available to the Members on the 28th.

श्री एच. के. व्यास:-This is office information. I submit that I usually follow the practice of making a note on the top of each Bill, on which date it was introduced, on which date a copy was made available and all that and each day I note immediately on receipt. I submit Sir that I could not forget it. I say this after considering all the point.

श्री नाथूराम मिर्धा:-मुझे तो २८ को ही....

श्री एच. के व्यास:–That is not the matter. The Minister might have received it on the 28th.

श्री अध्यक्ष:-No. The business of the 29th was circulated to the Members on the 28th and together with that I think this was given and this is information equally reliable from the office.

श्री रघुराजसिंह:–But still it won't be three cleat days.

श्री अध्यक्ष:--I think, Members will not press it.

श्री एच. के. व्यास:--I am prepared to withdraw the objection.

श्री अध्यक्ष:--There is no question of withdrawing. You will not pre s it.

श्री एच. के. व्यास:--I will not press it but I shall want that nothing like this happens in future.

श्री रघुराजसिंह: -But I think rules are rules and they must be followed.

श्री अवनिकुमार:--Silence is not necessarily consent.

श्री अध्यक्ष:--It was definitely circulated on the 28th. I think we should now come to the provisions of the Bill. There are only four provisions and substantially only two. We can discuss the principles of the Bill and then we can see.

श्री एच. के. व्यास:--I have no intention of withholding the discussion. I only wanted the Leader of the House and the Members on that side to see to my point.

श्री अध्यक्ष:–(Seeing the despatch register and then announcing) Mr. Vyas has received it on his behalf on the 28th, Shri Dharam Singh. Sangram Singh, Beni Park, and others including Mr. Abanikumar, they all received it on 28th.

श्री रघुराजसिंह: -In that case too it will not be three clear days before.

श्री अध्यक्ष - If you do not go on the technical side but look to the provisions of the Bill, we can take it clause by clause and then we can see.

श्री अवनिकुमार:--This is a very controversial Bill, Sir,

श्री अध्यक्ष:—I will give opportunity to Members to discuss.

(विराम)

So the motion is that the Jaipur District Boards Act (Amendment) Bill, 1952, be taken into consideration.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़):—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा अधिवेशन में बहुत से बिल ऐसे प्रस्तुत हुए हैं जो जनतन्त्रवाद की हत्या करने, पब्लिक के अधिकारों को कुचलने और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की हत्या करने में बहुत ही महत्व पूर्ण रहे हैं। इस अधिवेशन में तीन बिल जनतन्त्रवाद की हत्या के रूप में इस सदन के समक्ष आये हैं:—

1. Public Security Bill
2. Habitual Offenders Bill
3. Essential Services (Maintenance) Bill.

ये तीनों ही बिल सिलेक्ट कमेटी के पास चले गये हैं जो एक या दो दिन के बाद उस कमेटी से वापिस सदन के सामने आ जाएंगे ·····

श्री अध्यक्ष:—You will come to discuss the principles of the present Bill.

श्री भैरूंसिंह:—ये तीनों बिल सदन के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने वाले हैं। इन तीनों बिलों को लेकर पब्लिक के स्वतन्त्र अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है और इन बिलों को पेश करते समय पब्लिक के उन हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है जिनका रखना नितान्त आवश्यक था और न ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इससे जनता की क्या दुर्दशा होगी? इतने अर्से तक जनको को यह विश्वास था कि यदि एग्जिक्यूटिव साइड से उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो जुडिशियल साइड से तो अवश्य ही उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी। लेकिन आज इन बिलों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जिस तरह से एग्जिक्यूटिव साइड में उनके अधिकारों को सुरक्षा नहीं हो सकती ठीक उसी तरह अब जुडिशियल साइड में भी उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होसकेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में यह अर्ज करूंगा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट, १९४७, के अन्तर्गत यहां पर जयपुर स्टेट में चार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाये गये थे

१ सवाई माधोपुर	२ हिन्डौन
३ झुंझुनू	४ मालुरा

मगर दिनांक १८-७-१९५२ को राजस्थान के एकीकरण के पश्चात् यह चारों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग कर दिये गये और उनके स्थान पर ६ नये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का फोर्मेशन हुआ। लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज ने अपने यहां टेक्स इम्पोज किये थे उनको नये सेटअप में टेक्स रिकवर करने का अधिकार नहीं था।

मगर नये बोर्ड ने उनको रिकवर करना शुरू कर दिया और जब जनता इन करों के बोझ को बर्दास्त नहीं कर सकी तो सारी जनता जिनको कि यह बोझ ज्यादा मालूम हुआ, उसने राजस्थान हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट के तौर पर अपने प्रार्थनापत्र पेश किये। इस प्रकार की दो सौ दरख्वास्तें दी गई और इसकी पेशी अगले महीने की १७ तारीख को हो चुकी है। जब दरख्वास्तें दी गई और सरकार को यह मालूम हुआ कि अब तक जो टेक्स लिया गया है यदि इसमें जल्दी से जल्दी तबदीली नहीं की गई तो यह सारा का सारा नाजायज हो जायगा और हाई कोर्ट इसको अनवेलिड करार दे देगी। इसलिये यह बिल हाउस के सामने लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, यदि आप इसके स्टेटमेन्ट ओफ ओबजेक्टस को, जो इस प्रकार हैं, देखते तो आपको सरकार की मंशा साफ जाहिर हो जाती। स्टेटमेन्ट, में दर्ज है:—

"Various district boards constituted or reconstituted under the Jaipur District Boards Act, 1947 are levying the district board cess under section 31 of that Act. The right and propriety of such levy were being challenged on the following grounds:

(1) Section 31 of the Act empowers a Board to levy the cess with the previous sanction of the Government and by means of a resolution. The levy has been sanctioned by Government but after such sanction no resolution has been passed by the Boards in any case.

(2) The Act contains no provision whereby a board newly constituted or reconstituted under the Act may without further resolution, continue to collect the cess levied by its preceding board.

These grounds were merely technical and opposed to the spirit of the principal Act. Therefore in order to avoid any adverse finding on any of these points, an Ordinance was promulgated, thereby suitably amending the principal Act retrospectively. This Bill is intended to replace and repeal the said Ordinance."

अध्यक्ष महोदय, जब सदन में Question hour आता है उस वक्त यदि कोई माननीय सदस्य इस प्रकार के प्रश्न का, जिसको कि मंत्रीगण यह समझते हैं कि यह प्रश्न सबजुडिस है, उसका उत्तर देने के लिए मना कर दिया जाता है। न वे उत्तर देते हैं और न प्रश्न कर्त्ता प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन इस बिल की सारी की सारी बातें ऐसी हैं कि एक प्रश्न ही क्या सरकार ऐसे एक्ट्स जो सबजुडिस है हाई कोर्ट पर दबाव डालने के लिए, इस तरह के बिल के रूप में लाकर, कानून बनाकर जनता के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न कर सकती है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट में मामला १७ तारीख को पेश हो चुका है और जनता की ओर से आर्ग्युमेन्ट

हो चुके हैं; तो उसके बाद में जब कि यह मालूम नहीं कि उसका क्या फैसला होगा, उस फैसले को जानने के पूर्व, उस फैसले को नुक्तेनिगाह से देखने से पूर्व, उस फैसले के भविष्य को जानने से पूर्व, जब गवर्नमेन्ट ने यह लिखा है कि "In order to avoid adverse finding on any of these points an Ordinance was promulgated, thereby amending the principle Act retrospectively." तो मैं यह समझता हूं कि यह हाईकोर्ट पर दबाव है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि यह कान्टेम्प्ट आफ कोर्ट है।

अध्यक्षजी, आज मैंने जब इस कानून को देखा तो यह सारा का सारा अवैधानिक पाया है। जो टैक्सेज इम्पोज किये गये हैं वे कानून के द्वारा इम्पोज नहीं किये गये हैं। इसके लिए २००–२५० हाई कोर्ट में रिट की एप्लिकेशन्स गईं। उन्होंने नये नये वकील किये और वकीलों को महेनताना दिया। ६ महीने से वे इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि राज्य द्वारा लगाये गये टैक्सेज को हाईकोर्ट द्वारा इनवेलिड करार दिया जायगा। और उसके द्वारा तहसील के अधिकारी, निजामत के अधिकारी, कलेक्टरेट के अफसरान आये दिन जनता के साथ अन्याय करते हैं। वह अन्याय जल्दी से जल्दी खतम होगा और तब आराम पायेंगे। लेकिन सरकार द्वारा अब यह बाधाऐं उपस्थित की जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जल्दी इसलिये की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों को नॉमिनेट करने के अधिकार गवर्नमेन्ट अपने पास रखे हुए है। गवर्नमेन्ट किसी योग्यता के आधार पर उनके सदस्य नॉमिनेट नहीं करती है। महज इस बात पर नॉमिनेट करती है कि वह कांग्रेस के हैं या कांग्रेस से सम्बन्ध रखने वाले हैं। इस बात का खयाल नहीं रखा गया कि वह सदस्य योग्य है या नहीं। वे नहीं जानते कि टैक्स इम्पोज करने का तरीका सही है या नहीं: वह सही तरीके से लागू किया जा सकता है या नहीं। इस एक्ट के सेक्शन ३? में यह साफ लिखा हुआ है कि "Previons sanction of the Government" हो लेकिन उसके उपर बोर्ड का रिजोल्युशन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो टैक्स, यह जो आवश्यक लेवी इम्पोज की गई थी, वह महज एक गवर्नमेन्ट के सर्क्युलर आर्डर से इम्पोज कर दी गई है। किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को गवर्नमेन्ट के सर्क्युलर से टैक्स इम्पोज करने के लिए उसको रिजोल्यूशन की शक्ल देनी चाहिए ताकि इस कानून के अनुसार जनता पर इम्पोज किया जा सके। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसकी वजह से आज वह मुकद्दमा हाई कोर्ट में चल रहा है। ऐसी आशा की जा सकती है कि यदि ऐसा बिल सामने नहीं आता तो लाजमी तौर से वह इनवेलिड करार दिया जाता।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आज हाई कोर्ट इस वक्त बचा हुआ है। उस हाई कोर्ट के न्याय में, हाई कोर्ट के मामलों में यदि माननीय मंत्रीजी यदि एग्जिक्यूटिव माइंड किसी तरह का दखल नहीं करेंगे तो जनतन्त्रवाद के सिद्धान्तों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। यदि सरकार इस बात पर आरूढ़ होगी कि जो कुछ

सरकार ने कानून बना दिया है वह कानून सही है और जनता को उस कानून के अनुसार टेक्सेज देने पड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि उन्हें चाहिए कि हाई कोर्ट व सब जुडिशियल कोर्ट्स बन्द कर दें और यह कह दें कि जो कुछ हमारा हुक्म है वह जनता को मानना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यह मामूली सी चीज नहीं है: आज जयपुर राज्य की जनता के लाखों रुपयों का सवाल है। सरकार की गलती से उनसे लाखों रुपये वसूल किये गये हैं। यह कानून बनाकर वह यह चाहते हैं कि इस एक्ट को वेलिड करार दे दें जिससे कि जनता ने जो आवेदनपत्र हाई कोर्ट में दिये हैं, जिन पर बहुत ममकिन है कि जनता इस मामले के अन्दर कामयाबी हासिल करती, वह न हो और जो रकम गवर्नमेन्ट द्वारा गलत वसूल की गई है और जिस वसूल की हुई रकम का अपनी पार्टी के प्रचार के लिए उपयोग किया गया है, वह सारी की सारी रकम वापिस उन लोगों को, जिनसे वह वसूल की गई थी, न दी जाय। इस बात से बचने के लिए सरकार ने रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने के लिए यह बिल सदन के समक्ष पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सदन के समक्ष ऐसा बिल प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित मंत्री महोदय को यह सोचना चाहिए था कि इससे जुडिशियल मामलात पर कैसा असर पड़ता है? जनता क्या समझेगी कि सरकार जनतन्त्रवाद की क्या वेल्यू करती है और किसी तरह से सरकार उन सिद्धान्तों की हत्या तो नहीं कर रही है? किसी भी जनतन्त्रीय देश की सभ्य सरकार के लिए यह शोभनीय नहीं है कि वह ऐसा कानून बनाये जिस कानून के लिए जनता को शिकायत है, जनता को हाई कोर्ट में जाना पड़े। जनता से लाखों रुपये वसूल किये गये हैं और वह लाखों रुपये अपनी पार्टी के प्रचार के लिए खर्च किये गये। जिस रूप से इलेक्शन में पार्टियों की कार्यवाई हुई हैं लोगों को इलेक्शन में वोट देने के लिए लालच के रूप में रुपये दिये गये हैं आज ऐसे कानून को बनाकर उस रकम को हजम करने से पर्व उन्हें यह सोचना चाहिए कि क्या वे जनतन्त्र की हत्या तो नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि मंत्री महोदय जरा सा कष्ट करते तो आज यह तकलीफ नहीं होती कि इस प्रकार ऐसे बिल आज इस सदन के सामने प्रस्तुत किये जावें।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

इस बिल पर तकाजा करने का महज कारण यह है कि १७ तारीख को आर्ग्युमेन्ट हुए थे; तो उस रोज Hon'ble Chief Justice महोदय ने कहा था कि इसका फैसला २-३ दिन में ही कर दिया जायगा। जब सरकार को मालूम हुआ व एडवोकेट जनरल ने उनसे जाकर कहा कि मामलों में गुंजाइश नहीं है और हाई कोर्ट के आर्ग्यूमेन्ट्स से ऐसा मालूम होता है कि यह फैसला, जिन्होंने अपील की है उनके हक में जायगा और सरकार को इस मामले में नीचा देखना पड़ेगा तो उन्होंने फैसला देने से पूर्व एक Ordinance जारी कर दिया और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर अब यह अमेन्डमेन्ट बिल पेश कर दिया, ताकि एडवोकेट जनरल जज से यह कह सकें कि गवर्नमेन्ट ने इस सिलसिले में ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया है; उसको भी फैसला करने से पूर्व कंसीडर किया जाय। अध्यक्ष महोदय, जब यह चीज हाई कोर्ट

Page No.42

के जजेज के सामने आयेगी तो संभव है कि वे अपना फैसला नहीं दे सकें। इन मामलों के आर्ग्युमेन्ट्स के लिए ५ तारीख रखी। मैं निवेदन करूंगा कि यह मामूली चीज नहीं है, यह जनता के लाखों रुपयों का सवाल है, यह जनतन्त्रवाद के सिद्धान्तों का सवाल है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय इस बिल को सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व यह सोचें कि यह कहां तक ठीक है। क्या उनको सरकार यह उचित समझती है कि जो मामलात जुडिशियल कोर्ट में चल रहे हों, राजस्थान के ऊंचे न्यायालय में चल रहे हों जिस जगह से जनता यह आशा रखती है कि यदि एग्जिक्युटिव साइड उनके साथ न्याय नहीं करेगी तो हाई कोर्ट के जज न्याय करेंगे, उनके लिए इस प्रकार कानून बनाये जाय ! अध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार इस तरह से इस जनतन्त्रवाद के सिद्धान्तों की हत्या नहीं कर रही है ? इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूंगा और अर्ज करूंगा कि इस बिल में जनता को भलाई की कुछ भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस बिल को वापिस लेले।

श्री एच. के. व्यास:--I have to make a request to you. Sir- there is a very important legal point raised in this Bill in as, much as it seeks to enact legislation with retrospective effect· Well, we have seen, certain actions being validated and even on actions various High Courts have differed and have held that actions of past cannot be validated. But here is a piece of legislation which wants to validate an amendment with retrospective effect. It says that this Act shall not only be amended but that it shall be deemed to have been amended from the date it was promulgated. So I will request you, Sir, to ask the Advocate-General to enlighten us in this respect, whether it is within the legislative competence of the House to introduce amendments with retrospective effect and unless that is done, it will be very risky to proceed with this Bill.

श्री उपाध्यक्ष:--अभी बहस जारी रखी जाय और इस प्रश्न पर उनसे भी राय ले ली जायगी।

श्री एच. के व्यास:--आंनरेबल मेम्बर, इन चार्ज ला, से राय ले ली जाय; जब तक कि वे आयें।

श्री रामकिशोर व्यास:--मैं समझता हूं कि एडवोकेट जनरल की राय के इन्तजार में कोई चीज नहीं रखी जाय।

श्री एच. के. व्यास:--I want an opinion on the specific question that I have raised and it should not be presumed by the Hon'ble Member that the point has been decided affirmatively or negatively .

श्री रामकरण जोशी:–मेरे ख्याल से एडवोकेट जनरल जब तक राय देने आयें तब तक बहस जारी रखी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष:–अब इस पर बहस जारी रखी जाय और उनकी सम्मति ले ली जायगी ।

श्री श्रीमानसिंह:--On a point of order, Sir. Unless the legal position is clarified in the House, I do not think that the House should proceed any further with the Bill.

श्री रामकरण जोशी:--The legal position is quite clear.

श्री श्रीमानसिंह:—The legal position is not clear.

श्री रामकरण जोशी:–लीगल पोजीशन क्लियर ही है । एडवोकेट जनरल और लॉ डिपार्टमेन्ट को राय के बाद बिल तैयार होते हैं । मैं विदित कराऊंगा कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी है; जनता की जो आवश्यकता है या किसी खास इन्ट्रेस्ट की आवश्यकता है; वह मैं निवेदन करूंगा । मैं समझता हूं कि इस बहस को आगे चलाया जाय । यह बिल लॉ डिपार्टमेन्ट से निकला हुआ बिल है और हर तरह से यह कानून ठीक है । इसका कानून होना, माननीय सदस्य ने जैसा कि कहा है, कहीं गैर कानूनी न हो जाय इसलिए एडवोकेट जनरल जब तक नहीं आयें तब तक स्थगित कर दिया जाय; मेरा मानना है कि यह गलत बात है । एडवोकेट जनरल जब आयेंगे तब अपनी राय दे देंगे, उनकी राय भी यही होगी कि यह कानून ठीक है ।

श्री देवीसिंह:–क्या लॉ डिपार्टमेन्ट चेन्ज हो गया है; एक मिनिस्टर साहब से दूसरे मिनिस्टर साहब के पास ।

श्री अवनिकुमार:—We want a ruling from the Chair and not from the Minister concerned.

श्री जयनारायण व्यास:—I would like to submit, Sir, that this House is a Master House. It can pass a Bill or Resolution even with back effect and there is nothing to prevent this House from doing so.

श्री मानसिंह:--On a point of Order, Sir. This House should not pass such *ultra vires* legislation.

श्री जयनारायण व्यास:—It can pass or reject any Bill. It is within the power of the House to pass such Bill. That is what I want to submit.

श्री श्रीमानसिंह:—But we should obtain legal opinion thereon before we consider this Bill in this House.

श्री गोपीनाथ यादव:—ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र श्री व्यासजी ने जो बात कही है उसके जवाब में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस को गल्ती करने का अधिकार है, गल्ती करने से उसे कोई रोक नहीं सकता; परन्तु यह कहना कि हाउस जो पास कर देगा वह सही होगा; इसके लिए मेरा निवेदन है कि अगर हिन्दुस्तान के कानून की परम्पराओं की तहत कानून ठीक नहीं बनेगा तो हाई कोर्ट उसे रद्द कर देगा। अगर हाई कोर्ट उसको मानता नहीं है तो यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अलट्रावायर्स चीज कही जायगी: इसके लिये नये झगड़े होंगे। मैं समझता हूं कि यदि एडवोकेट जनरल ने यही राय दी है तो उन्होंने बड़ी भारी गलती की है, मेरे ख्याल से उन्होंने कानून को सोचा होगा या नहीं; यह मैं नहीं कह सकता। कानून की तो यह बात नहीं की गई है।

एक सदस्य:—Has the Hon'ble Member raised a point of order or is making a speech? I would request you . . .

श्री जयनारायण व्यास:—On a point of clarification, Sir. I never said that the House is competent to commit a mistake. What I said was that it is not a mistake to pass the Bill or Resolution which may come in force with back effect. ऐसा करना कोई कानूनी गलती नहीं।

श्री तनसिंह:—माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान धारा ११९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस पर माननीय पूर्व वक्ता ध्यान दें —

"Provided that when a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the Legislative competence of the Assembly, the Speaker may permit a full discussion thereon."

मेरा निवेदन यह है कि लेजिस्लेचर सब प्रकार से कोम्पीटेन्ट है; तो इस क्लॉज के रखने की जरूरत क्या थी। लेजिस्लेचर के इनकम्पीटेन्सी का प्रश्न उठ सकता है। इसलिये यह कहना कि लेजिस्लेचर सब प्रकार से, कानून बनाने में कॉम्पीटेन्ट है; यह कहां तक वाजिब है?

श्री रामकिशोर व्यास:—अध्यक्ष महोदय, जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेन्डमेन्ट बिल, जो सदन के सामने उपस्थित है, इस पर जो ऐतराज कानूनी बल पर किया गया है कि इसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाना चाहिये और न दिया जा सकता है। जहां तक हाउस के अधिकारों का ताल्लुक है सदन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किसी कानून को पास कर सकता है; इसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं है।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज (अमेन्डमेन्ट) बिल जिस तरीके से सदन में आया है उसे पास करने का हाउस को अधिकार है; हाउस उसे पास कर सकता है, कानून के तहत पास कर सकता है । इसके लिए यह कहना कि यह हाउस इस कानून को पास करने के लिए इन्कॉम्पीटेन्ट है; सही नहीं है ।

दूसरा, मेरिटस को देखें तो पोजिशन यह है कि धारा ३१ में संशोधन चाहा जाता है । उसके लिए ये फेक्टस एराइज होते हैं कि ३१ (१) के मुआफिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कुछ टेक्सेज लागू करने के लिए अपना प्रस्ताव सरकार के पास भेजते हैं, सरकार उसकी सेंक्शन दे देती है । गालिबन जो टेक्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लगाना चाहती है वह गवर्नमेंट को मंजूर है; परन्तु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने दुबारा रेजोल्यूशन पास नहीं किया । यह टेक्निकल चीज है । इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए इस चीज की जांच की गई है । कानून के तरीके पर ऐसा हो सकता है। जिस फॉर्म में यह बिल आया है कानून के मुआफिक है। इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं, कानून के खिलाफ कोई बात नहीं ।

श्री भैरूसिंह:-क्या यह मामला सबज्युडिस का नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास:-हो सकता है । कोई मुकद्दमें चल रहे हों फिर भी हम कानून में तरमीम कर सकते हैं ।

श्री जसवंतसिंह:-अध्यक्ष महोदय, लॉ मिनिस्टर साहब से फिर मैं जानना चाहूंगा कि इस एक बिल को पास करवाने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं; जब सब-जुडिशियरी के केसेज बताये जाते हैं । रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने से आपकी मन्शा क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास:-मन्शा तो साफ है कि किसी बात की कमी रह गई है, उसको रफा किया जाय ।

श्री जसवंतसिंह:-इसका असर सब-जुडिशियरी केसेज पर भविष्य में पड़ने का अन्देशा है । हमारी प्रार्थना है कि अगर हम इसको इस वक्त छोड़ कर जब सब-जुडिशियरी के केसेज तय हो जायं उसके बाद लें तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है ? मेहरबानी करके अगर आप इसे आगे के लिए रखते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी ।

श्री रामकिशोर व्यास:-केसेज जो चल रहे हैं वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चल रहे हैं । लेकिन पहले से जो टेक्निकल डिफेक्ट रह गया था उसका इलाज तो करना चाहिये । यदि उस समय किसी वजह से कमी रह जाती है, और गलत फहमी रह गई हो तो उसको दूर करने के लिए यहां लाया जाता है तो इसमें कोई मन्शा में फर्क नहीं पड़ता । टेक्निकल बातें रह जाती हैं, सरकार द्वारा कानून बनाये जाते हैं, District Board कर लगाता है, और सरकार की

मंजूरी लेता है परन्तु मंजूरी के बाद दुबारा प्रस्ताव पास नहीं करता है तो इस प्रकार की टेक्निकल चीजें हैं इसको खिलाफ कानून मानने की बात नहीं है, इसको हमें जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिये ।

श्री जसवंतसिंह:—अगर नया कानून बनाना होता तो हम इस बात के लिए तयार थे; लेकिन जब जुडिशियरी में मामले हैं तो हमारा यह कार्य ठीक नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष:—मैं इस पर अपनी राय दे देता हूं । यह सदन के ज्युरिस्डिक्शन की बात है कि वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कानून बनाये । यह करना उचित है । यहां सबजुडिशियरी का सवाल नहीं । इस पर हाउस विचार कर रहा है । जिन सदस्यों को इसके अनुकूल या प्रतिकूल बातें कहनी हैं वे अपनी बातें रखें ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़):—क्या लॉ मिनिस्टर बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखा है उससे यह मतलब नहीं समझा जाय कि इसका हाई कोर्ट पर इशारा है; हाई कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला नहीं दे ?

श्री उपाध्यक्ष:—आप अपना भाषण देते जाइये दोनों पार्टियां अपनी अपनी राय बतला रही हैं ।

श्री श्रीदास गोयल:—मैं इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेन्डमेंट बिल के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं । जो वास्तविक कठिनाई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सामने आ रही है उसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का वाइस चेयरमेन हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—On a point of order, Sir. How we passed beyond the stage of discussion of the legal position ? Are we going into the merits of the Bill ?

श्री श्रीदास गोयल:—I am not going into the merits of the Bill.

एक सदस्य:—On a point of order, Sir. It is a legal point and I want legal opinion of the Government.

श्री उपाध्यक्ष:- (श्री श्रीदास गोयल को सम्बोधित करते हुए) You carry on.

श्री श्रीदास गोयल:—मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस समय में पोजिशन ऐसी बन गई थी कि उस केस के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक रिज़ोल्युशन पास किया; गवर्नमेन्ट से उसकी स्वीकृति ली । इस बीच में सरकार बदल गई और दूसरी सरकार बनी । उसने उस बोर्ड को भंग करके दूसरा बोर्ड बना दिया । इसमें एक टेक्निकल कमी रह गई कि इसमें गवर्नमेन्ट की सेंक्शन दुबारा प्राप्त

करनी चाहिए थी। ऑपोजिट बेंच पर बैठे हुए बहुत सारे सदस्य जो पहले उस बोर्ड के सदस्य भी थे उन्होंने भी निवेदन किया था कि स्थान २ पर हमारे औषधालय होने चाहिए, स्थान २ पर हमारे अस्पताल होने चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, तालाब ठीक होने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ज इस बात पर ठीक ढंग से विचार करें। इस प्रकार की ग्रीवेन्सेज को दूर करने का प्रयत्न किया गया और हम इसमें कुछ सीमा तक सफल भी हुए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह हो गई कि लोकल एडवाइज दूसरी प्रकार की होजाने की वजह से कि हमारे मित्रों ने उसकी उपयोगिता का स्वागत न करने की जरूरत समझी और किसी के चक्कर में आकर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट पेश कर दिया। एक टेक्निकेलिटी इसमें पैदा हो गई जैसा कि न्याय मंत्री ने जिक्र किया था। जब व्यवहारिक रूप से इसे लागू करने की बात आती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस सेस को वसूल किया जाना चाहिए था और यह सेस अभी तक लागू भी हो रहा था। अतः रिट के द्वारा इसे नहीं रोका जाना चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा अब जो यह कानून लाया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे उसका स्वागत करें।

श्री गोपीलाल यादव:—सवाल यह नहीं है कि आया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रुपयों की कमी पड़ गई है। यदि कमी पड़ गई है तो उसको पूरा किया जा सकता है और उसका दूसरा तरीका हो सकता है। किन्तु सवाल यह है कि इस रिजोल्युशन के अनुसार हम ऐसी परम्पराएं कायम करने जा रहे हैं जो हमारे लिए ऐसी परम्पराएं कायम करना मुनासिब है या नहीं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में और वह यह है कि इसके अन्दर एक चीज दी हुई है। आपने बताया कि लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि रिजोल्युशन पास नहीं हुआ है। मैं इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि रिजोल्युशन पास भी गया और गवर्नमेन्ट की उसमें स्वीकृति भी ले ली गई, तो भी हाई कोर्ट उसको सेट एसाइड ही कर सकती है। अगर किसीवकील ने इसको अच्छी तरह से प्लीड नहीं किया तो वे अब किसी अच्छे वकील से करा सकते हैं। रिजोल्युशन पहले पास किया जा चुका है, टैक्स लगाने से पहले। गवर्नमेन्ट की प्रीवियस सेंक्शन पहले जरूरी नहीं है। प्रीवियस सेंक्शन का ताल्लुक है टैक्स लगाने के पहले सेन्क्शन लेना; न कि रिजोल्युशन पास ही कर देना और सेंक्शन न लेना। वगैर रिजोल्युशन के गवर्नमेन्ट की सेंक्शन हो ही नहीं सकती एक दफा रिजोल्युशन पास किया गया है और दुबारा रिजोल्युशन पास नहीं किया गया तो उसे सेट एसाइड कर दिया जाय, ऐसी कानूनी गलती नहीं की जा सकती। मुझे संदेह है कि कोई रिजोल्युशन पास ही नहीं हुआ है कोई सजेशन कर दिया गया है और गवर्नमेन्ट ने उस पर स्वीकृति दे दी हो। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे इस पोजिशन को साफ करें कि आपने रिजोल्युशन पास कर दिया और सेंक्शन बाद में हुई तो क्या उसका कोई खतरा नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास:—आपने एक दृष्किोण यह रखा है कि अगर पहले रिजोल्युशन पास हो गया और उसके बाद उसकी मंजूरी गवर्नमेन्ट ने दी तो,

कोई हाईकोर्ट ऐसी नहीं जो उसे सेट एसाइड कर सके । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह नुक्तानजर सही नहीं है । इसके मुकाबले में मैं आपको बताऊं कि जयपुर म्युनिसिपल कोर्पोरेशन ने हाउस टैक्स जयपुर सिटी में लगाया था । उस बारे में एक रिट हाईकोर्ट में पेश हुआ । उस रिट को मंजूर करने का एक कारण यह भी था कि म्युनिसिपल कौन्सिल ने हाउस टैक्स लगाने का रिजोल्युशन पास किया और गवर्नमेन्ट ने सेन्क्शन दी; किन्तु दुबारा म्युनिसिपल कौन्सिल ने रिजोल्युशन पास नहीं किया; अतः उसे सेट एसाइड किया गया । मैंने इसका जजमेन्ट पढ़ा है । इसके वगैर लॉ की कम्प्लाएन्स नहीं होती । म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार गवर्नमेन्ट सेंक्शन के बाद दुबारा रिजोल्युशन होना चाहिए था । इसलिए यह कोताई रह गई और यह ऐसा हुआ । यदि बाद में रिजोल्युशन पास कर दिया जाता है तो कोई अड़चन नहीं रहती । वगैर रिजोल्युशन पास किये वह कानूनी तरीके के अनुसार मुकम्मिल नहीं है ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, यह जो लॉ मिनिस्टर साहब ने बात कही यह एक और केस पर लागू होती है और वह यह है कि बोर्ड या म्युनिसिपेलिटी कमेटी गवर्नमेन्ट से सेंक्शन ले लें, इजाजत ले लें कि हम इस तरह का टैक्स लगाना चाहते हैं और उस टैक्स की गवर्नमेन्ट इजाजत दे देती है तो उस पर रिजोल्युशन पास होना जरूरी है । उसके पश्चात् उनको एक और रिजोल्यूशन करना चाहिए कि टैक्स लगाया जाय । लेकिन आपने टैक्स लगाने का रिजोल्युशन बाकायदा पास कर दिया है कि बोर्ड यह निश्चित करता है कि हाउस टैक्स लगाया जाय और फिर उसकी सेन्क्शन गवर्नमेन्ट से ले लें तो लीगल डिफिकल्टी पैदा नहीं होती । बोर्ड ने इतना ही पूछा कि हम अमुक टैक्स लगाना चाहते हैं और वे उसकी सरकार से इजाजत ले लेते हैं और फिर रिजोल्युशन पास नहीं हुआ तो लीगल डिफिकल्टी जरूर पैदा हो जायगी ।

एक बात मैं इस सम्बन्ध में और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को रुपयों की आवश्यकता हो और उसके लिए ही टैक्स लगायें तो दूसरी बात है; किन्तु यह कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि इससे इर्रेगुलर कार्यवाही करने वाले को हमेशा के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया है । यदि किसी पर्टिक्युलर केस के लिए, यदि किसी पर्टिक्युलर बोर्ड के लिए यह होता तो दूसरी बात थी । यह आप इसलिये कर रहे हैं कि एक ने गलती कर दी इसलिए आगे के लिये उनको और एग्जेम्प्ट कर दिया जाय । ऐसा कानून बनाना मुनासिब नहीं है । पर्टिक्युलर चीज की दिक्कत हो तो उसको रखा जाना चाहिए ।

श्री रामकिशोर व्यास:—मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने रिजोल्युशन पास किया था और उसे गवर्नमेन्ट के पास भेजा था । इसमें दुबारा प्रस्ताव पास नहीं हुवा; यह जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए है ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़):—सदन के सामने जो प्रश्न है उस पर विचार करने के लिए यह सदन बिजनेस रूल्स के अन्तर्गत कॉम्पिटेन्ट नहीं है.......

श्री रामकरण जोशी:--अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य को बार २ बोलने का मौका दिया जावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष:--If you have moved it then you will have a right of reply. You cannot speak always.

श्री भैरूसिंह:--इस तरह हमारे जनतन्त्रवाद की हत्या की जा रही है ।

श्री कवंलाल जेलिया:--क्या माननीय सदस्य अध्यक्ष के ओर्डर को चुनौती दे सकते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव:--यह एतराज काबिल बात है । अध्यक्ष हमारे सदन की प्रतिष्ठा है; हमें उनके हुक्म में रहना है ।

श्री किशन लाल शाह:--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के सामने प्रश्न यह है कि आया सदन इसको पास करने के लिए कोम्पिटेन्ट है या नहीं। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि यह तो सबज्युडिस मामला है; अतः इसे पास नहीं करना चाहिये और एक मित्र ने कहा कि जो इर्रेग्युलेरिटी हुई है यदि उसको पास कर दिया जाता है तो वह हमेशा के लिए इर्रेग्युलेरिटी हो जायगी ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जहां तक सबज्युडिस का सवाल है हाई कोर्ट के ऐसे कई मामलों में फैसले हो चुके हैं और उनको दुरुस्त करने के लिए सदन में, असेम्बली में कानून बनाया जा सकता है। अतः जब हाईकोर्ट का फैसला होने के बाद भी उनको दुरुस्त करने का कानून बनाया जा सकता है तो यह सवाल पैदा ही नहीं होता। सबज्युडिस एक ही केस में होता है। टेक्निकेलिटीज की दृष्टि से यदि कुछ इधर उधर होगया हो तो उसका भी सुधार हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इर्रेग्युलेरिटीज के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि "प्रीवियस सेन्कशन" के बजाय इसमें "विथ दी सेंक्शन आफ दी गवर्नमेन्ट" कर दिया जाय तो यह मसला हल हो जायगा । पहले इजाजत ले या पीछे; इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां प्रोसिजर की बात कही जाती है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोसिजर भी सदन ही बनाने वाला है और जो चीज करने वाला है वह भी सदन ही है। अतः जो इर्रेग्युलेरिटी और रेग्युलेरिटी के लिए कहा गया है वह एक गलत फहमी पैदा करने वाली बात है । दोनों ही प्रश्न यहां पैदा नहीं होते । यह तो मामला चेन्ज ऑफ प्रोसिजर का है और सदन को इसके लिए पूरा अख्तियार है। टेक्निलटि के बारे में कोई गलती होती है तो उससे रिमूव करने के लिये प्रोसिजर में चेन्ज करना जरूरी है और जो हाईकोर्ट में चेलेन्ज करने वाला नहीं है ।

मेरा यह निवेदन है कि यह अमेन्डमेन्ट दुरुस्त है और हाउस की कोम्पिटेन्स में है और यह डिफीकल्टीज को रीमूव करने के लिए ठीक है।

श्री बी. एन. जोशी—अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज के कानून में संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया गया है। मैं अपने विचार सदस्यों की जानकारी के लिए रखना जरूरी समझता हूं।

विरोधी दल की बेन्चों से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने अभी कहा था कि यदि सरकार पर्टिकुलर बोर्ड या केस के लिए कानून बना रही है तो उसे कम से कम स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए थी। यदि हेडिंग देखने की तकलीफ की होती, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि उसमें साफ है कि दी जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज एक्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२ है तो यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ओबजेक्ट्स और रीजन्स में भी गवर्नमेन्ट के इस बिल को लाने का जो मकसद था उसे साफ शब्दों में जाहिर कर दिया गया है। एक टेक्निकल फोर्मुला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज में लागू करने के लिए ही इस बिल में रखा गया है। एक बात एतराज में उठाई गई है और वह यह है कि किसी खास पर्टिक्युलर बोर्ड के लिए कानून बनाये जाने के लिए यह बिल रखा गया है।

दूसरी जो आपत्ति उठाई गई थी वह इस बात की थी कि इस बिल को यहां पास करना राजस्थान सरकार के कॉम्पीटेन्स के बाहर की बात है। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट का मामला प्रान्तीय सरकार के कॉम्पीटेन्स में आता है न कि केन्द्रीय सरकार के कॉम्पीटेन्स में यानी इसे प्रोविन्शियल विषय माना गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के अंतर्गत म्युनिसिपेलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज, ग्राम पंचायतें आदि सभी आ जाते हैं। सभी पार्टस "ए" और "बी" स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक्ट्स प्रान्तों में ही पास किये जाते है और प्रान्तों में ही अमल में आते हैं; फिर यह नहीं कहा जासकता कि आखिर किस चीज के आधार पर इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेन्स को चेलेन्ज किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज प्रोविन्शियल सब्जेक्ट है; इसलिये उनके सारे आर्ग्युमेन्ट्स तथ्य रहित हैं। यदि कोई सबजुडिस मामला है तो वह सामने आना चाहिये। उसके लिये इम्प्लीकेशन सोचा जाय। इससे कोई टेक्निकेलिटि नहीं है कि जिसकी वजह से इस लेजिस्लेशन को क्लोज कर दिया जाय। सब-जुडिस होने से एक्ट को चेलेन्ज नहीं किया गया है पर एक्ट की वेलिडिटि को अल्टावार्स करने का कोई प्रयास किया गया है; ऐसी बात नहीं है। यह कहा जाता है कि मामला सब-जुडिस है; अतः इसे ठहर कर पास किया जाय। मैं कहता हूं कि यदि कोई मिस्टेक है तो उसे जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिये; ज्यादा समय तक मिस्टेक रहने दी जायगी तो अच्छी बात नहीं है। यह कहा जाय कि टेक्निकल्ली फोर्मल डिफेक्ट्स से पैदा होने वाले फायदे उठाना चाहे तो यह पब्लिक के लिये डेट्रिमेन्टल है। कोई सब-जुडिस केस नहीं है और न वेलेडिटी को चेलेन्ज किया गया है। ऐसी सूरत में यह लेजिस्लेशन हाउस के कॉम्पिटेन्स का है और कानून बनाने के अधिकारों के अंतर्गत है। कानूनी दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है, इसलिये इसे अवश्य पास किया जाय।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं यह समझता हूं कि मेरे मित्र ने जिन आधारों पर इस Jaipur District Board Act (Amendment) Bill का विरोध किया है और उसका जिन महानुभाव ने जबाब देने की कोशिश की है उसमें उन्होंने जो हमारा रेज (Raise) किया हुआ असली मुद्दा है उसको totally side track किया है।

अध्यक्ष महोदय ! मैं आपके जरिये सदन को अर्ज करना चाहता हूं कि इस समय तक जिन भाइयों ने अपनी राय प्रकट की है मैं मानता हूं वे बड़े भारी Lawyer हैं। पर अफसोस इस बात का है कि Lawyer होते हुए भी उन्होंने जान बूझकर उनकी जिस प्रकार की आदत है उसी प्रकार जिस तरह वे एक मामले को High Court में उथल पुथल कर रखते हैं उसी प्रकार हमें भी मुगालते में डालने की कोशिश की है।

हम मानते हैं कि Jaipur District Boards Act को किसी भी तरह Amend करने का इस सदन को पूरा अधिकार है। हमने इस अधिकार को चेलेंज नहीं किया है।

इस बिल की धारा २ को मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा जिससे पता चलेगा कि यह धारा कैसी विषैली है। धारा २ इस प्रकार है:-

"Amendment of Section 31.—In section 31 of the Jaipur District Boards Act, 1947, hereinafter referred to as the said Act, for the words "with the previous sanction of the Government a Board shall levy by means of resolution" the words 'A Board shall levy, with the sanction of the Government' shall be and be deemed always to have been, substituted.

"been substituted" इस पर हमें आपत्ति है। हम सरकारी पक्ष से निवेदन करेंगे कि आपको यह पूरा हक है कि आप Jaipur Distrct Board Act को अमेन्ड करें। अगर आप इस तरह रखते हैं तो हम मानने को तैयार हैं:-

"With the previous sanction of the Government, a Board shall levy by means of a resolution" the words "A Board shall levy, with sanction of the Government."

इतना ही रखते है तो ठीक हैं; हमें कोई आपत्ति नहीं है।

आपका मकसद है कि कुछ District Boards ने Resolution पास किये और गवर्नमेन्ट ने फिर Sanction दी; इसको आप Rectify कर दें पर अगर आप यह समझें कि जयपुर गवर्नमेन्ट ने कोई चीज पास की और उसको आप Rectify कर दें तो यह कोई मजाक की चीज नहीं है। हमारे नये Constitution में, कहीं ऐसी चीज हो तो हमारे Law Minister या Local Self Government के मिनिस्टर बतायें।

किसी भी बिल को With reasons अमेन्ड किया जाय तो हम उस पर आगे Proceed करने को तैयार हैं ।

माननीय अध्यक्ष ! आपके जरिये मैं इस सदन से अर्ज करना चाहता हूं कि जिस समय Jaipur District Boards Act पास हुआ उस समय मैं Legislative Council का मेम्बर था और जब Select Committee में इस बिल को discussion करने को भेजा था तो मैं उस समय भी कमेटी का मेम्बर था। मैं बताना चाहता हूं कि हमने यह Provision, कि Government की Sanction के बगैर कोई टैक्स लेवी (Levy) न किया जाय, क्यों किया था । इस प्रोविजन को Specifically रखा था । यह बात नहीं थी कि गवर्नमेन्ट ने इसको देखा नहीं था । पर सरकार की यह मंशा थी, सरकार यह चाहती थी कि इस Act में एक ऐसा Provision रखा जाय कि जिससे local self Bodies हर्रीड प्रोसीडिंग्स (hurried proceedings) नहीं करें Resolution पास होने पर सरकार गंभीर विचार करे और फिर sanction दे. इस उद्देश्य से यह चीज रखी गई थी। यह amendment आ जाता है तो इस उद्देश्य का खात्मा हो जाता है । अगर आज से इसका खात्मा कर दिया जाय तो मैं माननीय मंत्री महोदय की बात को मान सकता हूं । वे इस जनतन्त्र के युग में समझ सकते हैं कि Nominated Board भी मनमानी नहीं करेंगे परन्तु वर्तमान में जितने Districts Boards हैं उन्होंने कितना फिजूल खर्ची में पैसा लगाया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है । इसे हमारे मंत्री महोदय ने भी तस्लीम किया था कि उसमें कुछ त्रुटियां रही थीं । तो इस तरह Retrospective effect से वह खराबियां और बढ़ेंगी ।

अध्यक्ष महोदय,! आज इस सदन के सामने Advocate General को अभी भी नहीं बुलाया जा रहा है जिससे कि वे इस सम्बन्ध में legal opinion देते । फिर भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण है । इसको इस तरह टाला नहीं जा सकता । इस सदन से मैं फिर अपील करूंगा कि सरकार जो इस तरह Retrospective effect करना चाहती है वह दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हुआ है ।

Black marketing के कई cases पकड़े गये फिर भी सरकार कुछ नहीं कर सकी । ९५ प्रतिशत Black marketeers बरी हो गये फिर भी Retrospective effect से उस कानून को amend करने की सरकार ने कोशिश नहीं की ।

हम सरकार को धन्यवाद देंगे कि उसने अपनी गलती को महसूस तो किया; चाहे देर से सही क्योंकि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाय तो भूला हुआ नहीं कहाता । पर दर असल जिस रोज से यह बिजली का करेंट (current) उनके (सरकार के) दिमाग में दौड़ा है उसी दिन से करें तो ठीक रहेगा । परन्तु सरकार को मालूम रहना चाहिए कि सरकार ने जो गलती की है व पैसा जागीरदारों को और काश्तकारों को लौटाना पड़ेगा । जिस Constituency से मैं आया हूं वहां के ५ हजार किसानों ने सामूहिक रूप से High Court

में writ कर रखा है जो इस प्रकार irresponsible बातें करते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जितना वे अपने आपको किसानों का Representative समझते हैं उनसे कहीं ज्यादा मैं काश्तकारों का Representative हूं। मैं इस सदन के सामने सिर ऊंचा करके कह सकता हूं कि मैंने कहने वालों की तरह काश्तकारों को Famine relief और तकावी दिलाने में कमीशन नही लिया।

श्री श्रीदास गोयल:-Is he talking relevant, Sir ?

श्री मानसिंह:-I am expressing myself.

(विराम)

यदि आप इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑबजेक्टस एन्ड रीजन्स देखेंगें तो आपको एक अजीब नमूना मिलेगा। मैं समझता हूं कि दुनियां के किसी भी लेजिस्ले चर में इस प्रकार का स्टेटमेन्ट ऑफ ऑबजेक्टस एन्ड रीजन्स का बिल नहीं आया होगा:-

"These grounds were merely technical and opposed to the spirit of the principle of the Act. Therefore in order to avoid any adverse finding on any of these points, an ordinance was promulgated, thereby suitably amending the principal Act retrospectively. This Bill is intended to replace and repeal the said ordinance".

यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका उद्देश्य सिफ यह है कि हमारी सरकार ने जो गलतियें की उनका सरकार हिम्मत के साथ सामना नहीं करना चाहती। वह यह करना चाहती है कि हाई कोर्ट, हमारे न्यायालय को जो हमारे भारतीय विधान ने यह करार दिया है कि यह बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर भी सरकार ऐसा करके अपना दबाव डालना चाहती है। कल से सदन की मर्जी हो तो चाहे कोई एमेन्डमेन्ट लाकर इसको पास करे। जयपुर स्टेट का यह बिल है और जो हम आशा करते है कि वह इस पर लागू हो जाए, वाजिब नहीं अब तो राजस्थान का एकीकरण हो चुका है। जयपुर स्टेट नहीं रही है। मैं नहीं समझता यह क्या आइडियोलोजी है, क्या फ्रेजियोलोजी है। मैं समझता हूं इस बिल को फ्रेम करने वाले मेरे दोस्त आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अभी भी इस चीज को ओनरेवली विद्ड्रा करें और जनता को दिखावें कि जो गल्ती हो गई है उसकी वजह से हम इसको वापिस लेते हैं और आप इतना दिल रखते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप इसको मानेंगे।

श्री रामकरण जोशी:-अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बहस के दौरान में मुझे अपनी बातें बता देनी चाहिये। जिस प्रकार और जिस स्पिरिट से इस बिल का विरोध किया गया है वह ठीक नहीं है। मेरे माननीय साथी, श्री मानसिंहजी, भी इस कानून के तहत में बनाये हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य थे और मैं भी उस समय में उनके साथ था और उस समय इस प्रकार के टेक्सों का लगाया जाना उन्होंने भी स्वीकार किया था और सब की स्वीकृति से ही यह लागू किया गया था। उसके बाद जब आप उस बोर्ड के सदस्य

नहीं रहे हैं तो आप इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उस समय तो आप ने इस प्रकार के टैक्स को मंजूर किया मगर अब लेजिस्लेचर में आकर आप उसी बात का विरोध करते हैं और यह चाहते हैं कि जो रुपया टैक्स के रूप में वसूल किया गया है उसको वापिस मिल जाए; यह कहां तक उचित होगा ? मैं आपकी जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि फोरमर जयपुर रियासत में, पूरी रियासत में स्वायत्त शासन की इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण जनतन्त्रवाद के सिद्धान्तों और उसूलों को मानते हुए किया गया और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कायम करने की बात सोची गयी। उनकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिये आमदनी का रास्ता भी निकाला गया। इसमें किसान अपनी तरफ से कॉन्ट्रिब्युशन देते थे और जागीरदार भी देते थे और ट्रेज़री से उसका दूना रुपया दिया जाता था और वह रुपया जनता के विकास में खर्च किया जाता था। इससे होस्पिटल, सड़कें, स्कूलें, कूए और कुछ और इसी प्रकार के कार्य, जैसे रास्ते साफ कराना आदि काम किये जाते थे। जागीर के लोगों से, जितना किसान देते थे उस पर २ पैसा प्रति रुपया के हिसाब से लिया जाता था और सरकार एक आना प्रति रुपया के हिसाब से दिया करती थी और उसका उपयोग वहां की जनता के विकास में ही हुआ करता था। दो पैसा रुपया के हिसाब से जागीरदारों से भी आया था। अब वह पैसा वहां के विकास में खर्च हो चुका है। उसके बाद मेरे कुछ माननीय साथी............

श्री मानसिंह:—ओन ए पोइन्ट आफ इनफर्मेशन, सर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जागीरदार भी इतना ही देते थे जितना सरकार देती थी और मेरे ख्याल से माननीय मंत्रीजी को इस संबन्ध में सही इन्फर्मेशन नहीं है।

श्री रामकरण जोशी:—मैं ऐसा मानता हूं कि उनको ऐसी इनफर्मेशन देनी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि जिस तरह से इस सदन में इस बिल के विरोध में कहा गया है और जो भावना दिखाई गई है और जनतंत्र का गला घोटने आदि की दुहाई दी गई है वह हास्यास्प्रद है: इसलिये कि जनतंत्र के सिद्धान्तों को मानते हुए ही इन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। मैं समझता हूं कि इस बात को हर एक व्यक्ति समझ सकता है और ये सारी बातें इस लिये कही जा रही हैं और यदि मैं स्पष्ट कहदूं तो कोई अनुपयुक्त नहीं होगा कि कुछ जागीरदारों ने उस वक्त दो पैसा प्रति रुपया अपनी खुशी से दिया था और उन्होंने उस समय उस रुपये को खर्च करने के लिये अपनी राय दी और वह रुपया भी वहां की जनता के हित के लिये खर्च कर दिया गया। मगर आज एक कानूनी टेक्निकेलिटी के कारण वे उस रुपये को वापिस सरकार से खींचना चाहते हैं और उसको वापिस लेने के लिये हाई कोर्ट में रिट लाना चाहते हैं ताकि जनतन्त्रवाद की वे संस्थाए खत्म हो जाएं। मैं समझता हूं कि इस बात को समझने में किसी को देर नहीं लगेगी कि उनकी भावना इसके पीछे दिये हुए रुपयों को वापिस लेने की है। इतना तो मेरे साथी सब समझ सकते हैं।

अभी यह कहा गया कि एग्जिक्युटिव साइड से जनता को इन्साफ नहीं मिलता तो जुडिशियल साइड से प्राप्त कर सकते थे; मगर अब उसको (जुडिशियरी को) भी इन्फ्लुएन्स करने की सरकार की मंशा है और इससे जनतंत्रवाद की हत्या होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पेश करते समय सब बातें बतादी

गई और यह भी बता दिया गया कि यह एक टेक्निकल एरर है और जनतंत्र के सिद्धान्तों पर कायम किये गये बोर्डों को आर्थिक कठिनाई से बचाने के लिये यह चेष्टा की गई है। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि इसको जनतंत्रवाद को बचाने के लिये ही लाया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा केवल जनतंत्रवाद की रक्षा करना है और इसके पीछे कोई दूसरी भावना नहीं है। मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी सरकार का विरोध किया जाए तो सिद्धान्तों पर होना चाहिये न कि इसलिये कि कांग्रेस की सरकार है, ऐसा कांग्रेस करती है इसलिये इसका विरोध किया जाना ही चाहिये। मैं यह कहूंगा कि यह बिल जनतंत्र की हत्या के लिए नहीं बल्कि जनतंत्र की रक्षा और ग्रामीण जनता के फायदे के लिये है और इसलिये इसको पास किया जाए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए हैं और उनको आर्थिक पतन से बचाना है। मैं आशा करता हूं कि आप इसको पास करेंगे।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):—On a point of information, Sir. अभी जब मैंने यह प्रस्ताव किया था कि जागीरदार लोग भी उतना ही देते है जितना कि काश्तकार देते हैं तो यह कहा गया कि आप गलत कह रहे है। तो जो ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट एक्ट है उसकी धारा ३४ के मुआफिक यह बतलाना चाहता हूं कि--

"Government shall realize from each such grantee an amount equal to the agreed amount as is payable to him by his tenant."

यह साफ प्रोविजन है। इसमें कोई एमेन्डमेन्ट नहीं है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह हमारे ऊपर एक एक्सप्रेशन सा होता है कि काश्तकार २ आने देता है तो हम एक आना देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष:–ऑर्डर–!

श्री श्रीदास गोयल:–मेरे लायक मित्र ने पहले कहा था कि सरकार के समान जागीरदार देते हैं। यह आपकी गलत इन्फोर्मेशन थी; अब आपने करेक्ट किया है। दफा ३४ के अनुसार किसानों के बराबर आप जरूर देते हैं, लेकिन सरकार के बराबर नहीं देते हैं।

श्री मानसिंह:–यह चीज मैं बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक्ट के अन्दर क्लियर है कि जैसे भी होगा वैसे एक आना लिया जायगा।

श्री रामकरण जोशी:–मैं निवेदन करूंगा कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए जब कि मैं बोल चुका हूं।

श्री गोपीलाल यादव:–मैं लॉ मिनिस्टर महोदय को सजेशन देना चाहता हूं अगर वे स्वीकार कर ले तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि कम से कम उस के बाद मुझे...

श्री रामदयाल उपाध्याय:--अब कोई सजेशन नहीं दिया जा सकता ।

श्री गोपीलाल यादव:—सजेशन देना मना नहीं हैं ।

सेक्शन २ के इन वर्डज़ "A Board shall levy, with the sanction of the Government shall be, and be deemed always to have been substituted." के बजाय "Sanction of the Government shall be deemed to have been substituted for all collections levied heretofore." कर लिया जाय जिसका मतलब यह हो जायगा कि अब तक जितने भी कलेक्शन्स उन्होंने किये है उन कलेकशन्स पर यह चीज मानी जायगी जिससे कि पहले के कलेक्शन्स तो उनको वापिस नहीं करना पड़े और आगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हिदायत कर दें कि वह बकायदा अपने प्रोसिजर के मुताबिक काम किया करें। अगर मेरे मित्र इस सजेशन को मान लें तो आगे कोई बात नहीं होगी ।

श्री रामदयाल उपाध्याय:--Sir this is not a Suggestion but an amendment.

श्री गोपीलाल:—Whatever it is.......

श्री रामकिशोर व्यास:—मेरे लायक दोस्त ने जो सुझाव दिया है मुझे अफशोस है कि मैं उसे मंजूर नहीं कर सकता । उसके मंजूर करने का मतलब यह है कि उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो दिया जाता है वह नहीं दिया जाय ।

श्री गोपीलाल यादव:—"Levied heretofore" होने से इससे पहले के जितने कलैक्शन्स हो चुके हैं वे आजाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि यह जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्डज़ एक्ट (एमेन्डमेंट) बिल, १९५२ विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है वह स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

यह बिल विचारार्थ लिया जाता है । अब इसको क्लॉज़ बाइ क्लॉज़ लिया जाय ।

श्री तनसिंह:—उपाध्यक्ष महोदय, आपत्ति ।

क्या एडवोकेट जनरल के लिए अभी हमें जो आश्वासन दिलाया गया था उन्हें बुलाने का और उनकी राय लिये जाने का; तो क्या, अध्यक्ष महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि वह केवल हमने सुना ही था : आपने नहीं कहा था ।

श्री रामकिशोर व्यास:—जहां तक मुझे याद है ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि एडवोकेट जनरल को बुलाया जायगा ।

श्री मानसिंह (जमुआरामगढ़) :-आश्वासन अध्यक्ष महोदय ने दिया था न कि आपने।

श्री रामकिशोर व्यास :-अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो एडवोकेट जनरल किसी वक्त हाजिर हो सकते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी जरूरत नहीं होगी। सवाल जो हाउस के सामने है वह यह है कि हम इस बिल को रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से पास कर सकते हैं या नहीं? उसके लिए अध्यक्ष ने रूलिंग दे दिया है कि इसको रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट दें या नहीं दें; लेकिन लेजिस्लेचर को कम्पीटेन्स जरूर इस बात की है कि वह इसको रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद एडवोकेट जनरल की जरूरत नहीं।

श्री एच० के० व्यास :-वह मेरिट्स का सवाल नहीं है। किसी सदस्य की नासमझी है; अगर वे तय ही नहीं कर पाये। लेकिन ऐडवोकेट जनरल का जहां तक सवाल है, आश्वासन दिया गया था जब कि माननीय मंत्रीजी बाहर गये हुए थे उस वक्त।

श्री रामकिशोर व्यास :-नासमझी हो सकती है। समझने की कोशिश करनी चाहिए। इत्तिफाक से वे यहां नहीं हैं। बुलाने के लिए कोशिश की जा रही है लेकिन पता नहीं कि वे कहां हैं?

श्री जसवन्तसिंह :-कहीं किडनेप तो नहीं कर लिये गये हैं?

एक सदस्य :- आप तो उसमें शामिल नहीं हैं?

उपाध्यक्ष :-ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री तनसिंह :-अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति का कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री श्रीदास गोयल :-एक साधारण बिल के लिए इतना अधिक समय हाउस का लिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि आगे बढ़ा जाय।

श्री उपाध्यक्ष :-कई सदस्यों की यह मांग है कि इस पर एडवोकेट जनरल की सम्मति ली जानी चाहिए और इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है।

श्री रामकरण जोशी :-इसे विचारार्थ आपने ले लिया है।

श्री उपाध्यक्ष :-तो विचारार्थ स्वीकार कर लिया है। उनकी सम्मति से बहुत से सदस्यों को वह बात स्पष्ट हो जायगी कि रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट की बात ठीक है। मेरी कोई सम्मति नहीं है। जो केसेज हाई कोर्ट में हो गये हैं उन केसेज पर वह लागू हो या नहीं, ऐसा लोगों का प्रश्न है। इस पर बहस काफी हो गई है। अगर यह जो बिल विचारार्थ ले लिया गया है और इसमें जो कुछ एडवोकेट जनरल जो कि एक लॉ की टेक्निकेलिटी के बारे में कुछ कह सकते

हैं उनकी सम्मति और उनके स्पष्टीकरण के लिए यह रख लिया जाय। अगर हाउस यह मानता है कि उनको बुलाया जाय तो आज इसको कुछ टाइम के लिए अलग रख दिया जाय। अगर हाउस यह चाहे तो इस पर हाउस की सम्मति ले ली जाय।

श्री रघुराजसिंह: Sir, I think the Chair should give decision and not ask the opinion of the House.

श्री गोपीलाल यादव—यह हाउस से पूछने की बात नहीं है। यह अध्यक्ष को निर्णय करना चाहिए।

एक सदस्य—चेयर को सलाह देने की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—उसमें हाउस यदि यह चाहता है कि उनको जरूर सुना जाय तो इसके लिए हाउस की जो सम्मति है तो उनको सुनकर फिर इसमें आगे बढ़ा जाय। जो इसके पक्ष में होंगे वे "हां" कहेंगे।

श्री रामकिशन व्यास—मैं यह जानना चाहता था कि किस इश्यु पर एडवोकेट जनरल की सम्मति चाही जाती है; तो ऐसा कौनसा मामला है जिस पर एडवोकेट जनरल की राय चाहिए।

श्री इन्द्रनाथ मोदी—माननीय अध्यक्ष, मैं तो हाउस में उस समय मौजूद नहीं था जिस समय इस पर बहुत कुछ बहस हुई, लेकिन मुझे यह सूचना दी गई है कि संबंधित मंत्रीजी ने यह कहा था कि इस लेजिस्लेशन से जो जेर तजवीज मुकद्मात हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री रामकरण जोशी—ऐसी बात किसी ने नहीं कही। मैंने कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं किया।

श्री इन्द्रनाथ मोदी—तो ठीक मैंने यही समझा। यह लेजिस्लेशन उस एक्ट को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए ही हाउस में लाया जा रहा है; यह ठीक बात है।

(श्री अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया)

श्री जसवन्तसिंह—श्रीमान् अध्यक्षजी, अभी माननीय मंत्रीजी ने जो फरमाया उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि यह आपत्ति मेरी ठीक है कि यह जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है तो उसकी यह मन्शा है कि जो सब-ज्युडिस केसेज थे उन पर भी इसका असर पड़ेगा और जहां तक मुझे याद है श्रीमान लॉ मिनिस्टर साहब ने यह जवाब दिया था कि उन केसेज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे?

श्री रामकिशोर व्यास:-मैंने यह अर्ज किया था कि सब-ज्युडिस केसेज के लिए भी इनेक्टमेंट हो सकता है। अब भी मैं अर्ज करता हूं कि सब-ज्युडिस केसेज के लिए भी यह हो सकता है।

श्री जसवन्तसिंह:-मेरा यह सवाल नहीं था। मेरा सवाल यह था कि सब-ज्युडिस केसेज पर उसका असर पड़ेगा या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास-रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का मतलब ही यह है कि जो केसेज पेन्डिंग हों उन पर इसका असर पड़ेगा ही।

श्री जसवन्तसिंह:-केसेज को दृष्टि से सरकार यह कदम उठा रही है।

श्री अध्यक्ष: -There is no bar to his understanding like this.

श्री अवनिकुमार:- It is a questionable motive.

Sir, I think Government has taken the consensus of the House. That is why they do not call the Advocate-General.

श्री अध्यक्ष:-I may explain to you. The Advocate-General is not above the ruling of the Speaker of the House. I notice that the Speaker has already given a ruling from the Chair that this House is competent to pass such legislation in Rajasthan. When his ruling is there, it would be rather derogatory to call the Advocate-General to give his opinion.

The only way to proceed is to consider the Bill clause by clause. I have sufficient amendments over this.

So, the motion is that clause 2 of the Bill......

(विराम)

There are amendments also to section 2 by Shri Bhairon Singh Division No. 16. In section 2, sixth line, the words "and be deemed always to have been" be deleted.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़):-अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट यह है:-

"In section 2 line 6th the words 'and be deemed always to have been' be deleted."

इस संबन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा जो टैक्स वसूल किया गया है उस वसूली को नाजायज साबित करने के लिए जनता की ओर से काफी मुकद्दमात चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि इन शब्दों को, जिन्हें हटाने के लिये मेरा संशोधन है उसका प्रयोजन यह है कि जो मुकद्दमात इस वक्त चल रहे हैं और हाईकोर्ट के जेर तजवीज हैं उन मुकद्दमात पर इस बिल का असर होगा। अध्यक्ष महोदय, सब जुडिशियरी के मामलात में इस प्रकार हस्तक्षेप करना किसी भी सभ्य सरकार के लिए शोभनीय नहीं। राजस्थान की जनता और राजस्थान की सरकार दोनों की शान रखने के लिए इस सदन को चाहिए कि इन शब्दों को हटाने के लिए अपनी राय दें ताकि जनता के लिए यह बिल हितकर साबित हो। एक तरफ तो छोटे छोटे मामलात को सब-जुडिशियरी का बताकर जनता पर रोक लगा दी जाती है और दूसरी तरफ खुले रूप में जनता के प्रतिनिधियों के सामने इस तरह के मामले को जो हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं इसमें लेजिस्लेचर के द्वारा हस्तक्षेप कराया जाता है, यह किसी भी प्रकार शोभनीय नहीं कहा जासकता है। इसलिये मेरी सदन से प्रार्थना है कि वह मेरे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करे। इन शब्दों को हटाने के लिए मेरी प्रार्थना है कि उनको हटा दिया जाय, ताकि जनता के लिए ज्यादा श्रेयस्कर हो और जनता को यह कहने का मौका नहीं मिले कि जनता के प्रतिनिधि हाउस में बैठकर ऐसी बातें करते हैं जिनसे हम हाई कोर्ट से भी न्याय पाने के हक से वंचित रह जायं। इस पर काफी वाद विवाद हो चुका है इसलिये मेरा इस विषय में इतना ही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष:-You have another amendment to the same section.

श्री भैरूंसिंह:-(दांता रामगढ़) मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है।

"In section 2, line fifth 'Board shall levy with the sanction of the Government' be read as 'Board shall with the Sanction of the Government'."

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं अर्ज करूंगा कि यह ग्रामेटिकल मिस्टेक है; जो नहीं होनी चाहिए। इसमें Grammar के लिहाज से verb का उपयोग Word of action को प्रेस करने के लिये होता है। इसमें "लेवी" यह शब्द sense से बहुत दूर है। इसके बीच में "sanction of the Government" आ गया है; जिससे verb का word of action पर कम असर रहता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि कानून बनाते समय ग्रामर का खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए और इसलिये "ए बोर्ड शेल लेवी विथ दी सेंक्शन ऑफ दी गवर्नमेन्ट" की जगह "बोर्ड शेल विथ दी सेंक्शन ऑफ दी गवर्नमेन्ट लेवी" होना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव:-अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहता था। यह जो शब्द माननीय सदस्य ने कहे हैं कि यह गवर्नमेन्ट

के लिए शोभनीय नहीं । इसमें चेयर से रूलिंग चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट के लिए यह एक्ट बनाना शोभनीय है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: It does not require any ruling of the Chair.

श्री मानसिंह "जसुवा गमाढ":—माननीय अध्यक्ष, मेरी राय में जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (अमेन्डमेन्ट) एक्ट में जो यह एमेन्डमेन्ट लाया गया है और इस बिल की धारा २ में जो अमेन्डमेन्ट मेरे मित्र ने पेश किया है वह बहुत उचित है और उस पर इस सदन को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये । "एन्ड बी डीम्ड आलवेज टू हेव बीन" यह बहुत खतरनाक चीज है । इसलिये इस चीज को डिलीट करना आवश्यक है । मैं सदन से अपील करूंगा कि वह इस संशोधन को सर्व सम्मति से मन्जूर कर इन शब्दों को डिलीट करे । बस मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री श्रीदास गोयल:—माननीय अध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र ने कुछ अमेन्डमेन्ट रखें और एक मित्र ने उनका समर्थन भी किया । वास्तविक बात तो यह है कि अगर मेरे मित्र अमेन्डमेन्ट पेश करने से पहले थोड़ा व्यवहारिकता से विचार करते कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज चल रहे हैं वे सुचारु रूप से चल रहे हैं या नहीं, इसका जरा विचार करते तो इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट लाने का वे कष्ट नहीं करते । मेरे माननीय मित्र ने पहले बहस के समय कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तभी ज्यादा अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं जब कि उनका आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसको ध्यान में रखते हुए यह प्रोविजन रखा था "विथ दी सेंक्शन आफ दी गवर्नमेन्ट" इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो अमेन्डमेन्ट माननीय मित्र ने रखा है वह ठीक नहीं मालूम देता ।

इसके साथ माननीय मित्र ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर ज्यादा जोर दिया । आपने कहा कि यह नहीं होना चाहिये । यदि वे व्यवहारिकता को समझते तो वे इस प्रकार की बातें कभी नहीं करते । मैं इस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने वसूल कर लिये हैं जनता ने भी बड़ी खुशी के साथ दे दिये; उन्होंने यह सोच कर कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा बड़ी खुशी के साथ पैसा दिया । एक लीगल कॉम्पलिकेशन में पडकर के कुछ रिटें हाईकोर्ट में हुई । लेकिन लेजिस्लेचर का यह प्रथम कर्तव्य है कि इस बारे में रचनात्मक सुझाव दे; जिससे सरकार के हाथ मजबूत हो सकें । सरकार को अच्छे कामों के करने में प्रोत्साहन देना चाहिए । जब यह टैक्स गवर्नमेन्ट ने मन्जूर कर दिये हैं और किसी टेक्निकेलीटी के कारण कुछ मुकद्दमे दायर हुए है तो उनको चाहिए था कि वे इतना सख्त रुख इस विषय में अख्त्यार न करते । आपको तो यह चाहिये कि सिविल सूट होकर डिग्रियां भी आजायं; लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डिसलोकेट नहीं होना चाहिये । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष:—No other member ?

श्री रामकरण जोशी:--अध्यक्ष महोदय, मैं ये दोनों अमेन्डमेन्ट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जवाब देना भी नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष:-I should now put the two amendments of Bhairon Singh (Danta Ramgarh) to Vote.

The first amendment is, "In Section 2 line sixth the words, 'and be deemed always to have been' shall be deleted".

The second amendment is "In section 2 line 3 'the Board shall levy with the sanction of the Government' be read as 'Board shall with sanction of the Government levy'."

(श्री भैरूंसिंह को संकेत करते हुए)

You press the second amendment also ?

श्री भैरूंसिंह: Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष:--I take the first. The question is that the first amendment be passed.

(अस्वीकृत)

The amendment is defeated.

The question is that amendment in section 2, line 5, should be accepted. (To Shri Ram Karan Joshi). You accept it ?

श्री राम करण जोशी:—No, Sir.

श्री अध्यक्ष:—(To Shri Bhairon Singh) You press it. (To Shri Ram Karan Joshi) You should accommodate him.

श्री रामकरण जोशी:—No question of accommodation, Sir,

श्री अध्यक्ष:—The wordings are the same. The question is that the amendment be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

Now the question is that clause 2 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

श्री अध्यक्षः–Clause three.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)ः–क्लाज थ्री में मेरा अमेन्डमेन्ट है । पहले मैं क्लाज थ्री पढ़ कर सुनाता हूं और इसके बाद में मेरा संशोधन–

"3. *Insertion of new section* 59.—After section 58 of the said Act, the following new section shall be, and be deemed always to have been inserted namely:—

"59. *Powers of new Boards.*—Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder a Board which has been newly constituted under section 4 or section 4A in respect of any area or which has been vested with jurisdiction over any area under sub-section (1) of section 3A, shall under the Act exercise all such powers, collect all such cesses, realise all such amounts and do all such acts as were being exercised, collected, realised and done in such area by the previously existing Board if any, immediately before such constitution or vesting as aforesaid."

In Section 3, line 10, after the words "the Act" insert the following words: "levy cess in the like manner and then shall be competent to."

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि जिस वक्त जयपुर में यह एक्ट लागू किया गया उस वक्त यहां चार डिस्ट्रिक्टस थे और उन चारों में ही इस कानून को लागू किया गया था और चार ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज़ बनाये गये थे । इन चार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज़ के नाम ये हैं.....

१. हिन्डौन
२. जयपुर
३. मालपुरा, और
४. झुंझुनू

जिस वक्त राजस्थान का एकीकरण किया गया चार डिस्ट्रिक्ट के बजाय ६ डिस्ट्रिक्ट बनाये गये । जयपुर में दो डिस्ट्रिक्ट और नये बनाये गये; "टोंक और सीकर" । जो पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्डज़ थे उन्होंने टैक्स इम्पोज़ किया और उन्होंने गवर्नमेन्ट की सेन्कशन ली; परन्तु कोई रिजोल्युशन पास नहीं किया । गवर्नमेन्ट की सेन्कशन इन चार ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए थी जिनके लिए कि यह कानून बनाया गया था । इसमें सीकर और टोंक डिस्ट्रिक्ट्स नहीं थे ।

श्री श्रीदाम गोयलः–टोंक में कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है; क्या मेरे मित्र बता सकते हैं ? मालपुरा में तो था ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़):–श्री दामोदरलालजी व्यास जो आपकी पार्टी के हैं इसके मेम्बर हैं । आपको मालूम नहीं है शायद ?

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उस ऑर्डर के अन्तर्गत अन्य जनता से जिसके बारे में सरकार को कोई आज्ञा नहीं है क्यों टैक्स वसूल किया जाय। जिन डिस्ट्रिक्टस बोर्ड्ज के लिए गवर्नमेन्ट का ऑर्डर था, लेवी वसूल करने का उसके खिलाफ अन्य जनता से क्यों सेस वसूल किया जाय। सरकार ने इस एक्ट के जरिये मालपुरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अधिकार दिया कि वह सेस वसूल करे क्योंकि मालपुरा को भी एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया गया था। अब जब कि नया डिमार्केशन हो चुका है; आधा मालपुरा का हिस्सा टोंक में चला गया है और आधा सीकर में चला गया है तथा दांता रामगढ़ नीम का थाना व सीकर ठिकाने को मिलाकर एक District बनाया और उस ही के अनुसार एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना दिया गया। Levy का ऑर्डर सीकर डिस्ट्रिक्ट के लिये नहीं था परन्तु वहां की जनता से सेस वसूल किया गया। उस चीज को समाप्त करने के लिए गवर्नमेन्ट ने यह अमेन्डमेन्ट बिल रखा और जिसके Statement of आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में साफ है कि "The Act contains no provision whereby a board newly constituted or reconstituted under the Act may; without further resolution, continue to collect the cess levied by its preceding Board."

अध्यक्ष महोदय, यदि इस तरह की गलती को अब सदन में सुधारने के लिए प्रस्तुत की जाती है और जिस गलती का असर एक सारी की सारी किसान जनता पर लागू है तो मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन के लिए शोभा की चीज नहीं होगी। हो सकता है कि गवर्नमेन्ट ने इस सम्बन्ध में यह विचार किया हो कि इस किस्म का रिजोल्यूशन पास नहीं किया गया या अमेन्डमेन्ट पास नहीं किया गया: तो इसका असर उन केसेज पर हो सकता है जो हाई कोर्ट में हैं। परन्तु जनता का हित इससे भी बड़ा है अतः मैं निवेदन करूंगा कि मेरा अमेन्डमेन्ट स्वीकार कर लिया जावे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन द्वारा मेरा अमेन्डमेन्ट, जनता और सरकार के हित में, जरूर पास किया जाएगा।

श्री श्रीदास गोयल:—अध्यक्ष महोदय, जो एमेन्डमेन्ड रखा और कुछ नये बोर्ड, बनाने का जिक्र करते हुए जो कुछ कहा, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मित्र को शायद मुगालता हुआ है। वस्तुस्थिति यह है कि भूतपूर्व जयपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज बने थे और ऐसी कोई भूमि नहीं थी जहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज एक्ट एप्लीकेबल न हो और उसके अनुसार सेस नहीं ली जाती हो।

श्री भैरूसिंह:—ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फोरमेशन सर सीकर में ऐसी कोई सेस नहीं ली जाती थी।

श्री श्रीदास गोयल:—भाषण जारी रखते हुए जब राजस्थान बना तब कुछ डिस्ट्रिक्ट में इधर उधर करके नये डिस्ट्रिक्ट बनाये गये और कुछ गांव कम ज्यादा एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किये गये। सवाई माधोपुर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट तो बदस्तूर रहे किन्तु मालपुरा का डिस्ट्रिक्ट तोड़ कर टोंक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया उसमें रूल्स टोंक रियासत के लागू हैं। मालपुरा के बारे में सदस्य महोदय को गलत फहमी हो गई है। जमुआ रामगढ़ इधर से उधर हो गया है।

श्री भैरूंसिंह:-जमुआ रामगढ़ नहीं दांता रामगढ़ ।

श्री श्रीदास गोयल:-इस मुगालते को वे रुपये और सोलह आने में फर्क समझते हैं । मैं मानता हूं कि रुपया और सोलह आनों में कोई फर्क नहीं है ; इसलिये इस एमेन्डमेन्ट की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष:—There is a numerical difference.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़).-अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज एमेन्डिग बिल को लाने में सरकार ने बड़ी भारी गलती की और हमको सरकार ने बाध्य किया है कि हम इस बिल की हर सैक्शन का विरोध करें और जहां तक हो सके इसे बाहर फेंकने की कोशिश करें । मैं आपको बतलाऊं कि मेरे एक मित्र ने यह फरमाया था कि रुपया और सोलह आने में कोई फर्क नहीं है । मैं कहने को तैयार हूं कि जब रुपया और सोलह आने में फर्क नहीं है तो महरबानी करके हमारे एमेन्डमेन्ट को मंजूर कर लें । हमारे एमेन्डमेन्ट को आप सोलह आने और ओरिजिनल को रुपया समझते हैं तो इसे एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है । यह इसलिए लाया गया है कि राजस्थान बनने से पूर्व जयपुर में चार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे । इसके बाद जब राजस्थान बना तब जयपुर डिवीजन में छः डिस्ट्रिक्ट हो गए । जैसा कि मैंने पहले राजप्रमुख के भाषण के समय कहा था कि उक्त भाषण Bunglings of Government था उसी तरह की बंगलिंग छः डिस्ट्रिक्टस में हुई । छः डिस्ट्रिक्ट होने पर भी इस एक्ट को एमेन्ड करने के लिये आज तक किसी ने नहीं सोचा । लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मौजूदा मंत्री महोदय ने इस ओर जरूर ध्यान दिया । हालांकि यह ध्यान उनकी कुशाग्र बुद्धि के कारण नहीं दिया गया वरन् हाई कोर्ट में जब रिट्स पेश होने लगीं तब उन्हें इसे एमेन्ड करने को सूझी । लेकिन जैसे भी हो आपने फरमाया था कि इस मामूली बात को एडजस्टमेन्ट के तौर पर ही मान लिया जाय; लेकिन अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, अपने मेजोरिटी के मद में, इसे मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे । मैं सरकार से नहीं पर सरकारी पक्ष के पीछे की बेंचों पर बैठे हुए महानुभावों से अपील करूंगा कि वे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो अपनी पार्टी से ऊपर उठ कर जन-हित को ध्यान में रखें और इस वाजिब एमेन्डमेन्ट को पास करें । मिनिस्टर महोदय जिस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मेम्बर थे उसका मैं भी मेम्बर था और उनके साथ ही किसी वजह से मैं भी निकाला गया था ।

श्री अध्यक्ष:—We sympathise with you.

श्री मानसिंह:-मंत्री महोदय के साथ मेरी सहानुभूति है, अध्यक्ष महोदय । अपनी पुरानी दोस्ती को निभाने के लिये इस बात को मानलें तो अच्छा हो ।

एक सदस्य:—I think there will be no favouritism in the House.

श्री कानसिंह:—शुरू में जब इस पर बहस प्रारम्भ हुई थी तब यह कहा गया था कि इस बारे में एडवोकेट जनरल की राय ली जायगी । अभी वे यहां आये हुए हैं उनकी राय लेली जाय तो ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष: The Hon'ble Members will confer with him. I may tell one thing. The Advocate-General can only speak when called by the Speaker: otherwise he has no right to address the House.

श्री रामकरण जोशी:—बात यह है कि दो-चार मेरे साथी घूम फिर कर उसी बात को दोहराना चाहते हैं जिससे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ज की आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाय । मैं उन मित्रों को धन्यवाद देता हूं जिनको अपनी दोस्ती का ख्याल है । लेकिन मैं साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वे और मैं एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से निकाले गये हैं फिर भी हम उस बोर्ड की बुराई करना नहीं चाहते । इसलिये उस बोर्ड की भलाई को ध्यान में रखकर, उसकी आर्थिक अवस्था को ठीक करने के लिये, हमें सोचना चाहिये और ऐसे एमेन्डमेन्ट पेश नहीं करने चाहिये । मैं चाहता हूं कि हाउस इस बिल को उसके असली रूप में स्वीकार कर ले ।

श्री अध्यक्ष:—You don't make a cordial appeal to him:

(विराम)

The Question is that the amendment to clause 3 be accepted.

(अस्वीकृत)

Amendment fails.

The question is that Clause 3 be added to the Bill.

(मत-दान)

Noes have it.

(Rejoice in the Opposition Benches)

(विराम)

(ट्रेजरी बेंचेज को संबोधित करते हुए) You ought to have become louder. I think the noes will give it to the ayes.

(विरोधी दल की ओर से yes, yes)

(स्वीकृत)

Clause 3 is added to the Bill.

I think there is no amendment to Clause 4. I put the specific question. The question is that Clause 4 be added to the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 4 is added to the Bill.

The question is that Clause 1 be added to the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1 is added to the Bill.

(विराम)

The Question is that the Title and the enacting formula stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Title and the enacting formula are added to the Bill.

श्री रामकरण जोशी:—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज अधिनियम (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि यह बिल पास किया जावे ।

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

अ-राजकीय सदस्य कार्य

संकल्प

श्री अध्यक्ष:—Shri Gopi Lal Yadav. Members in the House have always been hearing the official business but now official Members will hear the non-official business. It is a very important resolution which he is putting forth.

श्री गोपीलाल यादव:--अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव हाउस के सामने प्रस्तुत करता हूं:—

"इस सदन की यह सम्मति है कि किसानों की पैदावार पर जिसमें मवेशी भी शामिल हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी फौरन समाप्त कर दी जाय ।"

माननीय अध्यक्ष, किसानों से हमदर्दी इस समय हर एक आदमी को है और सब अपने आपको किसानों के हितैषी मानते हैं। और यही समझता हुआ मैं विश्वास करता हूं कि जब इस हाउस में चारों तरफ किसानों के हमदर्द मौजूद हैं तो मैंने यह प्रस्ताव रखने की कोशिश की है। मैं आशा करके चलता हूं कि इस प्रस्ताव को किसी पार्टी और दलबंदी के हिसाब से कोई महानुभाव नहीं देखेंगे। यदि गवर्नमेन्ट को कोई कठिनाइयें होंगी तो उन पर ठीक ढंग से विचार करेंगे। हमें यह देखना है कि किसानों पर इस वक्त टेक्सेशन का बोझ कितना भारी है और वह उचित है या नहीं। किसान राजस्थान गवर्नमेन्ट के ही नहीं; बल्कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपेलिटियों के सारे टेक्सेशन के बोझ को अपने सर पर लिये हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपल एरियाज में जितनी गाड़ियें माल लेकर आती हैं उन सब को चार आना मन सेस के रूप में देना पड़ता है और यह टैक्स किसी कंज्युमर पर नहीं पड़ता बल्कि किसानों को ही देना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ज की आमदनी का ८०-९० प्रतिशत किसानों से वसूल किया जाता है। इसी तरह से गवर्नमेन्ट द्वारा लेन्ड रेवेन्यु जो किसानों से ली जाती है उतनी ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटी किसानों को देनी पड़ती है। इम्पोर्ट ड्यूटी के संबंध में मैंने कोई प्रस्ताव नहीं रखा और उसका सिर्फ एक कारण जो है वह यह कि इम्पोर्ट ड्यूटी का बोझ देश के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। देश में जो चीज आती है, राजस्थान में जो चीज आती है वह ज्यादातर कंज्युमर्स गुड्स हैं और चाहे किसान हो या मजदूर हो व चाहे सर्वमान्य मंत्री हों: सब पर बोझ पड़ता है और समान रूप से पड़ता है। इसलिये जब तक राजस्थान के फाइनेन्सेज अच्छे न हो जायं तब तक चल सकता है।

Export duty का सारा भार किसानों पर पड़ता है। जितना माल बाहर जाता है वह सारा किसानों का माल है। किसानों की मवेशी हैं, सरसों हैं, उसका अनाज है और उसका सन वगैरह है। एक किसान जो एक बीघे में ७ मन सरसों पैदा करता है वह उस सरसों पर २।।) रु० फी मन के हिसाब से १७।।) रुपये टैक्स दे देता है। अगर वह ८०) रु० या १००) रु० की बिकी और उसकी तमाम पैदावार का खर्चा निकाल दिया जाय तो शायद उसकी बचत ५) रु० होगी और उसे गवर्नमेंट को १७।।) रु० देना पड़ता है। तो इस तरह हम उसकी बचत जो ५) रु० है, वह उसकी मजदूरी में से और भी छीन लेते हैं।

इसी तरह किसान के यहां जो बैल पैदा होता है, चार पांच साल तक वह उसकी परवरिश करता है। पांच साल के ६० महिने होते हैं। चार रुपये माहवार खर्चा समझा जाय तो २५०) रु० का खर्चा तो पड़ गया और जिस वक्त बिकता है तो २५) रु० टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स नासमझी से लगाया गया था। प्रान्त की गवर्नमेंट समझती थी कि इस टैक्स का बोझा राजस्थान के बाहर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। यहां से २००) रु० में जो चीज बिकेगी वह बाहर २२५) रु० में बिकेगी और इस नासमझी से यह टैक्स पहले जमाने में लगाया गया था, पर बाहर का किसान जब यहां खरीदने आता है तो वह कहता है तुम्हारे बैल की कीमत २५०) रु० है, मुझे २५

रु० गवर्नमेंट को देना पड़ता है वह मैं काटूंगा, २२५) रु० ले लो। इस तरह यह सारा बोझा किसान पर पड़ रहा है ।

मैं निवेदन करता हूं कि हाउस का हरेक सदस्य जानता है कि किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है, उसके खाने को पूरी रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, वह अखबार नहीं पढ़ सकते और किसानों के पास अपने जीवन के Standard को ऊंचा बनाने के कोई साधन नहीं हैं । इसका कारण यह है कि उसके पास बचत नहीं है। जो बचता है वह सब हम छीन लेते हैं। जितने भी और बोझे हैं, रिश्वत का बोझा है, सारे बोझे किसानों पर पड़ रहे हैं। Courts का High Courts का बोझा किसानों पर पड़ रहा है । जयपुर का रहने वाला अगर कोई High Court में मुकद्दमा चलाता है तो उसे आने जाने का खर्चा नहीं होता। किसान को High Court में मुकद्दमा करने के लिए ५० कोस आना और जाना पड़ता है और इस तरह उस पर बहुत खर्चा पड़ता है ।

यह सभी मानते हैं कि Export, Import duty खत्म करना है । Central Government की भी यही मंशा है पर यहां गवर्नमेंट इसे यह कह कर कि हमारे पास पैसा नहीं है, खत्म नहीं कर रही है ।

मैं इस सबन्ध में सदन के सामने एक बात पेश करना चाहता हूं; उसे आप गौर से सुनें । वह बात बिल्कुल सही है। एक जेल में एक कैदी जो भंगी था उसकी जेल की term (मयाद) खत्म हो गई । जिस वक्त उसे छोड़ा जा रहा था उस समय जेल Superintendent ने कहा कि जेल में कोई दूसरा भंगी नहीं है इसलिए जब तक कोई दूसरा भंगी जेल में नहीं आ जाय तब तक इस भंगी को जेल में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो सफाई कौन करेगा । उस भंगी की term खत्म हो गई थी और उसे छोड़ना लाजमी था। फिर भी उसे नहीं छोड़ा गया। ठीक ऐसी ही हालत आज किसानों की हो रही है । हम सब मानते हैं कि किसानों पर बोझा ज्यादा है। पर जब तक आमदनी के दूसरे Sources नहीं मिल जायं तब तक किसानों पर बोझा रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। उस भंगी की तरह आज किसानों पर भी बीत रही है । इस बोझे को हटाया जाय।

मेरे मित्र मिश्राजी ने पहले मेरी ओर लक्ष्य करके कहा था कि किसानों से बोझा हटाया जाय और शहरियों पर लगाया जाय । इस बारे में हम बार बार कहते हैं पर कोई तजवीज पेश नहीं करते । इस तरह एक तजवीज मैंने किसानों पर से बोझा हटाने की रखी है । मैं इस संबन्ध में दूसरी तजवीजें भी सुझा सकता हूं। परन्तु जब सिक्युरिटी ओफ State Bill, और राजस्थान Essential Services Bill जो जनता को तकलीफें देने वाले बिल हैं, मेरे बगैर सुझाये सूझ सकते हैं तो फिर यह किसानों के बोझे को हटाने का बिल मेरे बगैर सुझाये क्यों नहीं सूझता ।

फिर भी मैं २-४ चीजें सुझा देता हूं।

जब Agriculture Income Tax Bill रखा गया था तो मैंने कहा था कि किसानों पर पहले से ही बहुत बोझा है फिर और बोझा मत डालो।

आप non-agricultural इनकम टैक्स लगा सकते हैं। सिनेमा टैक्स, होस्पिटल टैक्स, स्कूल टैक्स, जहां पर एस. डी. ओ. के हैड क्वार्टर्स हो वहां पर टैक्स या जहां पुलिस स्टेशन हो वहां के लोगों पर टैक्स लगा सकते हो। कहने का मतलब यह कि जहां पर लोगों को ज्यादा एमिनिटीज हों वहां पर टैक्स लगाना जरूरी है। मगर उन लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये जिनको कि होस्पिटल के लिये ६ मील से चल कर आना पड़ता है। मैं तो यह कहूंगा कि यदि आप मेरेज टैक्स भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं तो सिर्फ सेल टैक्स के खिलाफ हूं यह टैक्स नहीं लगना चाहिये। यह टैक्स बहुत सी जगह पर लगाया जा रहा है और मैं यह कहूंगा कि यह नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि इसका असर किसानों पर ही पड़ता है। ऐसे टेक्स लाने चाहिये जो नोन एग्रीकल्चर अरनिंग टैक्स हों; जिनका असर दुकानदार पर पड़े। वरना ऐसा होता है कि सेल टैक्स आप लगावेंगे तो जो मिठाई का दुकानदार दो रुपये सेर बेचता है, उसके बजाय दो रुपये दो आना सेर बेचेगा और उसका भार किसानों पर ही पड़ेगा। हमें तो टैक्स उन लोगों से वसूल करना है जो अभी तक नहीं दे रहे हैं। मैं तो यह चाहूंगा कि किसानों से टैक्स कम से कम लिये जावें मैं यह कहूंगा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बन्द कर दी जानी चाहिये। मैं सदन के हर एक सदस्य से उम्मीद करता हूं कि गरीब किसानों के प्रति अपनी हमदर्दी का परिचय दीजिये।

श्री ईश्वरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, जो बातें यहां पर कही गई हैं इस विषय में कुछ मेरी भी जानकारी है। मैं भी आप लोगों ने अर्ज करूं हूं के ऐड़ी सड़ी गली सरकार से तो पुरानी सरकार भी अच्छी थी। जिस समय में टिकट का बोझ बहुत कम था और जो लोग बाहर माल बेचने को जाते थे उसका सवा रुपया टिकस का लगता हो। जिका आज दस रुपया हो गया। यह कितो बड़ो अन्याय है।

दूसरी बात आ है के तमाखू है जिका हालि पहले पांच रुपया बीघा का हा बीका भी आज बजाय ५ के २० हो गया। यह अनपढ कास्तकारों पर बोझा की चीज है। हर एक आदमी के तो आ है के किसानों पर बोझ है उने हलको कियो जावे। बोझ हलको तो कियो नहीं। जिण बगत कोई मवेशी बाहर कोई लेने जातो जरे जिण सांडरा २॥) रुपया लागता उणरी जगह २३) रुपया लेणा शुरू कर दिया कितो बड़ो अन्याय है किसानों पर। हर एक चीज पर किसान पर बोझ लाद दियो गयो है, भेड़ बकरी तमाम चीजों पर टिकट लगा दियो है। इणने स्वराज कियों कर समझियो जावे। सब आदमियों ने स्वराज में बराबर समझाया जावे तो फेर किसानों पर ओ बोझ क्यों। तो इसलिये मैं सरकार सूं अर्ज यह करनो चाहूं हूं के अठे तो पारटी रो सवाल है। लेकिन ओ कोई पार्टी रो सवाल नहीं है। यहां पर हर एक भाई को सवाल है। मांरा कई भाई उठ उठ चल्या गया कि इके उपर आपांने बोलनो नहीं पड़े। किसी ने केवोला तो वे केवेला के मैं तो हा नहीं उठे। केवण रो तो स्वराज है परन्तु पेली सूं भी बुरो हाल किसानों रो हो रयो है। इसलिये

मेरी तो या अर्ज है कि इण पर ध्यान देना चाहिये; टैक्स है उने हटाणो चाहिजे। मेला में अगर कोई किसान तीन-चार बार जायने आवे और एक एक वार में १६ रुपया खर्च करे ने बैल बिके नहीं तो उने तो बहुत नुकसान होवे। इणसूं ज्यादा अन्याय किसान रे साथ कंई होवे। टैक्स हटावणो चाहिजे ।

श्री मोटाराम:-अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सदन में लाये हुए प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं। यह प्रस्ताव वह है जो राजस्थान बनने से पहले व स्वराज्य से पहले जनता यह कहा करती थी कि स्वराज्य में वह वक्त आएगा जिस समय किसानों पर से इनकमटैक्स माफ हो जायगा। मगर स्वराज्य आने और राजस्थान बनने के बाद सबसे ज्यादा यह टैक्स किसानों पर लागू हुआ। रहा सवाल यह कि यह टैक्स लगा तो क्या लागू ही रहना चाहिये। इस टैक्स का असर राजस्थान के सारे ही किसानों पर पड़ा है। गाय, भैंस वगैरह जो राजस्थान से बाहर जाते हैं उस पर अब १६) रुपये टैक्स हो गया है और जैसे अभी मेरे साथी ने बताया तमाखू का ५) के बजाय २५। हो गया है। जो चीज राजस्थान में आती है उस पर टैक्स नहीं है राजस्थान से बाहर जाती है उस पर टैक्स है; २॥) फी मन रुई पर है। मद्दे जमाने में २॥) रुपये मन का भाव ही नहीं था। भारत सरकार में इस प्रकार के टैक्स नहीं हैं और अब राजस्थान सरकार में भी बिल पास हो गया है। मैं आशा करता हूं कि टैक्स जल्दी से जल्दी माफ होंगे।

श्री बी. एन जोशी:-अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है उसके विषय में मैं भी अपनी राय सदन के समक्ष पेश करना मुनासिब समझता हूं। वास्तव में एक चीप पोपुलेरिटी या यों कहिये सस्ती लीडरशिप हासिल करने के लिये इस प्राकर के प्रस्ताव हाउस के सामने लाये जाते हैं।

श्री गोपीलाल यादव:-माननीय अध्यक्ष, मैं इस तरह के शब्द यज करने के कारण निवेदन करूंगा कि ऐसे गलत शब्द कहने से सदस्यों को रोकें। चीप पोपुलरिटी आदि जो कहते हैं ये गलत कहते हैं।

श्री बी. एन. जोशी:—Sir, I do not understand the objection of the Hon'ble Member. I think whatever I expressed was perfectly parliamentary and I am entitled to explain it in the House.

(विराम)

मेरा निवेदन यह था कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, और जब इस सदन की कार्यवाई प्रकाशित हो प्रेस में, तो लोगों की वाह-वाह लूटने के खयाल से यह बहुत उपयुक्त प्रस्ताव समझा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर व्यवहारिकता को थोड़ा ध्यान में रखा जाय तो समझदार आदमी इस प्रकार की मांग आज की राजस्थान की परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ वजनदार कारण हैं।

अव्वल तो यह है कि टैक्स जो होता है मवेशियों पर या किसानों की पैदावार को प्रान्त के बाहर भेजने पर होता है। वह बहुत ही हेल्दी (Healthy) और बहुत ही आवश्यक है, प्रान्त के हित के लिए है। टैक्स लगाने की यह पॉलिसी प्रान्त की जनता, प्रान्त के नागरिकों और समूचे प्रांत के हितरक्षण के लिए अत्यन्त आावश्यक है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला कन्सीडरेशन यह है कि प्रोड्यूस ऑफ दी प्रॉविन्स, इस प्रान्त की जो पैदावार है, चाहे वह मवेशियों के रूप में हो, चाहे अनाज वगैरह के रूप में उससे इस प्रान्त की जरूरत पहले पूरा करना चाहिए और सरप्लस अगर बचती है तो वह बाहर भेजी जानी चाहिए; किसी भी हालत में प्रान्त में कमी पैदा कर यहां की पैदावर को दूसरे प्रान्तों को न भेज दें और यहां के लोग उससे पूरा पूरा फायदा नहीं उठा सकें; इसी को रोकने के लिये सरकार के पास एक मात्र यही साधन है। मनमाने तौर पर अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की छूट विधान के अनुसार है, लेकिन टैक्स लगा कर कुछ हद तक इन्टरप्रॉविन्शियल ट्रेड को, कस्टम ड्यूटीज से रोका जा सकता है। प्रान्त के किसानों के हित की यह चीज है ताकि उनको बैल वगैरह मुहय्या हो सके। अगर मुनाफे के खातिर यह घटा दें तो किसान लोग पंजाब और यू० पी० के लोगों को अपने बैल वगैरह बेच देंगे तो यहां पर आज जो एक बैल की कीमत २००) रु० है, वह मैं समझता हूं कि २५०) रु० और २७५) रु० हो जायगी। यह किसानों के हित में सिद्ध होगा।

इसी तरह खाद्यान्न के विषय में हम देखते हैं कि कभी मद्रास में अकाल पड़ गया, कभी सुना जाता है कि मध्य भारत में अनाज की बहुत कमी है; फेमिन की कन्डीशन्स हो जाती हैं। हम देखते हैं कि शहरों में पांच-पांच सौ आदमी अनाज के राशन के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। यह जो नाज पर टैक्स होता है वह नेचुरली चैक का काम करता है। कस्टम का टैक्स जो है, मैं बताना चाहता हूं कि वह काफी हित में है। इन्टिग्रेशन से आज बहुत कुछ अंशों में तो यह टैक्स वैसे ही कम हो गया है। पहले २६ रियासतें थीं, हर एक स्टेट में....

श्री मोतीलाल:-मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सरसों और कपास को भी अनाज में शामिल करते हैं?

श्री विशम्भरनाथ जोशी:-अध्यक्ष महोदय, यह एक प्रश्न है। मैं प्रश्न का जवाब देने खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं अपनी राय दे रहा हूं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रान्त की पैदावार प्रान्त की जरूरत पूरी करे प्रान्त में उसका अभाव नहीं हो, कमी नहीं हो: इसके लिए यह टैक्स हमेशा से लगाया जाता है। यह कोई नया टैक्स नहीं है, यह टैक्स शताब्दियों से चला आ रहा है। कस्टम का टैक्स २६ रियासतों में था। पहले किसान को, मान लीजिये राजस्थान में भरतपुर से गुजरात में माल भेजने पर पहले भरतपुर में देना पड़ता था, फिर अलवर में देना पड़ता था, उसके बाद जयपुर और

जोधपुर में देना पड़ता था। इस तरह २६ रियासतों में अलग--अलग कस्टम चुकाना पड़ता था। आज राजस्थान में वह एक ही जगह टैक्स लगता है। बहुत कुछ तो इन रियासतों के इन्टिग्रेशन के कारण राजस्थान सरकार की आमदनी में कमी हो गई है। पहले २६ स्टेटों को टैक्स मिलता था, अब उतना नहीं मिलता है: अब खर्चा उतना ही है परन्तु आमदनी बहुत कम हो गई है।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि यह टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है, पुराना है। आज की परिस्थिति में सरकार का खर्चा पहले के मुकाबले में चार गुना छः गुना हो गया है क्योंकि अव्वल तो एकीकरण से जो स्थिति पैदा हुई है कि सरकार को युनिफाइड पे स्केल करना पड़ा। पहले करौली और किशनढ़ में तहसीलदार को ४०) रु० मिलते थे; किन्तु अब वह १५०-१०-२५० के ग्रेड में रखे गये हैं; क्योंकि राजस्थान में अलग-अलग स्केल्स ऑफ पे उसी केटेगरी के एम्पलाइज के लिए नहीं रख सकते। इसमें लाखों रुपयों का फर्क सेलेरीज के यूनिफिकेशन में पड़ा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एक पुलिस के कॉन्स्टेबल की वरदी, मैं समझता हूं, महंगाई नहीं थी तो सन् ३९-४० से पहले वह ७) में बन सकती थी, लेकिन आज वह ३५) रु० में बनती है। एक क्लर्क के लिए दवात जो २ पैसे में आती थी वह आज ४ आने में आती है। एक कलम जो २ पैसे में आती थी वह २ आने में आती है। इस तरह से गवर्नमेंट का एक्सपेन्डिचर आठ गुना, दस गुना हो गया है।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि राजस्थान के एकीकरण से आमदनी की कई मदें, जैसे जयपुर स्टेट रेलवे, जोधपुर स्टेट रेलवे, बीकानेर स्टेट रेलवे मेवाड़ स्टेट रेलवे, इन चारों रेलवेज की आमदनी कम से से कम, मैं समझता हूं शायद एक करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है। वह सभी आमदनी, केन्द्रीय सरकार, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को चली गई है। उसके बदले में एक पैसे का भी किसी तरह का मुआविजा नहीं मिला है। यह सब हम जानते हैं कि राजस्थान में आमदनी के जरिये कम हो गये और खर्चे ज्यादा बढ़ गये हैं, एकीकरण के कारण ज्यादा बढ़ गये हैं। मेटिरियल खरीदना पड़ता है मकान खरीदने पड़ते हैं, उनके किराये के रूप में हर तरह से खर्चा छः गुना, सात गुना चला गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के जमाने में, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसकी कीमत आठ गुनी या नौ गुनी बढ़ नहीं गई हो। एक मिट्टी का घड़ा दो पैसे का आता था वह ४ आने में आता गवर्नमेन्ट ने टेक्सेशन, रेवेन्यू व दूकानों का किराया आदि इस प्रोपोरशन में नहीं बढ़ाये हैं जिस प्रोपोरशन में महंगाई बढ़ी है। रेवेन्यू टैक्स १) रु० से २ रु० या २॥) रु० हो गया हो, किन्तु १) रु० का ८' रु० नहीं हुआ है। यह जनरल एवरेज की बात है। गवर्नमेंट के जो कर थे वह ज्यादा से ज्यादा डेढ गुना, दुगुना या ढ़ाई गुना से ज्यादा नहीं बढ़े हैं; जब की महंगाई बढ़ी है छः गुनी--आठ गुनी। आमदनी के जरिये कम हो गये हैं और खर्चा ज्यादा बढ़ गया है।

आज हर एक सदस्य मांग करते हैं कि सरकार को हमारे इलाके में स्कूल खोलना चाहिए। प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल करना चाहिए, मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल करना चाहिये, हाई स्कूल है उसको इन्टरमीजियेट कॉलेज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलें, अस्पताल हर जगह खुलें सारी बात कर दी जायं, यह तो सब आप मांग करते हैं; परन्तु आप व्यवहारिकता को भूल जाते हैं। इस बात का ख्याल नहीं रहता है कि गवर्नमेन्ट के यहां सोने और चांदी का मेह (वर्षा) नहीं बरसता है। पैसा टैक्स के जरिये ही आ सकता है। ऐसी सूरत में आप उस रेवेन्यू को करटेल करना चाहते हैं जो पहले से लगी हुई है। आप यह कहते हैं कि यह भी टैक्स नहीं लेना चाहिए, वह भी टैक्स नहीं लेना चाहिए : जब कि खर्च बढ गया है और आमदनी कम हो गई है। फिर भी उतनी की उतनी सुविधाएं, उतनी की उतनी फेसिलिटीज मांगते हैं। राजस्थान को एक वेलफेयर आइडियल स्टेट चलाने का दावा करना चाहते हैं: तो उस आइडियल को प्राप्त करने के लिए उसकी हेल्प करिये। उसको वेलफेयर स्टेट बनाकर सुविधाओं की बात करें। यह एक बच्चों की सी बात होगी। जरा गहराई से देखिये। मैं समझता हूं कि आप बहुत ही जिम्मेवार लोग हैं। आखिर जो कुछ भी हमारी डिमान्ड्स हों वह पूरी तो फाइनेंस के बेसिस पर ही होंगी। यह बेसिक प्रिन्सिपल है जो सबको याद रखना चाहिए। यह हो सकता है कि जो माननीय सदस्य विरोधी दल की बेंचेज पर बैठे हैं वे अपना कर्तव्य इतना ही समझते हों कि कुछ कहें; या अधिक से अधिक लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस तरह के मामलों को सामने ला दिया जाय। अधिक से अधिक नुक्ताचीनी करने का ही काम है। अगर सरकार चलाने की जिम्मेवारी उन पर होती तो शायद वे इस तरह की बात ही नहीं करते: क्योंकि शताब्दियों से यह टैक्स चल रहा है वह आज इस महंगाई के जमाने में जब कि हमारे कई सोर्सेज ओफ रेवेन्यू सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ट्रान्सफर हो गये हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ?

इन सब के बाद मैं यह और निवेदन करना चाहूंगा कि नागरिकों के बहुत से कर्तव्य हैं। उनमें से बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण कर्तव्य टैक्स देने का है। पेट्रियोटिज्म में बहुत कुछ बात यह है कि टैक्स जो गवर्नमेंन्ट का है वह टाइम पर पूरी मात्रा में दे देना चाहिए। हमारे देश में इस मनोवृत्ति का विकास नहीं हुआ है। गवर्नमेंट से ज्यादा से ज्यादा लें और कम से कम दें। Giving to the Government as little as possible and taking from the Government as much as possible......

श्री अवनिकुमारः—We don't want sermons.

श्री विशम्भरनाथ जोशी:—यह टेन्डेन्सी बरती जा रही है: "Man in the Street" इसको सोचें; लेकिन रेस्पॉन्सिबल आदमी जिनको कि हम लेजिस्लेटर कहते हैं वे खुद ही इस प्रकार सोचें तो किसी हालत में ठीक नहीं कहा जा सकता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:—माननीय अध्यक्ष बदले हुए हालात में किसान भी चाहता है कि उसका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो । किसान आज की दशा में महसूस करता है कि आज के दिन उसके पदावार में कोई बचत नहीं हो रही है, पैदावार पर बड़े बड़े टेक्स लगाये जा रहे हैं । आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा । मैं गंगानगर इलाके का रहने वाला हूं । वहां से १२ लाख रुपये हर साल टेक्स के रूप में वसूल किया जाता है । हम जब से अपनी फसल को पैदा करते हैं तब से लगाकर उसकी कीमत वसूल न हो जाय तब तक हमें बराबर टेक्स देने पड़ते हैं । उसकी लिस्ट अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप हेरान हो जायेंगे । वाटर रेट देना पड़ता है, रेवेन्यू रेट देना पड़ता है, लोकल रेट देनी पड़ती है, पटवार देना पड़ता है कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है । म्युनिसिपल टैक्स भी दो किस्म के होते हैं । एक दफा म्युनिसिपल हद के अन्दर जाने पर देना पडता है, दूसरा म्यूनिसिपल हद से बाहर निकलने पर भी टेक्स देना पड़ता है । इस प्रकार के टेक्स हिन्दुस्तान के दूसरे सूबे में कहीं नहीं होंगे । इसके अलावा तुलाई आदि इस तरह के सैकड़ों खर्च हैं । इस बारे में मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं । गंगानगर में तारामीरा की कीमत आठ रुपया मन है । उसकी पैदावार पर खर्च लिया जाय; इसके बारे में सरकारी रिपोर्ट के आधार पर यदि हम मानें तो इस तारामीरा की पैदावार पर ७० फीसदी खर्चा करना पड़ता है और ३० फीसदी आमदनी होती है । इस बारे में किसी एग्रीकलचर फार्म की रिपोर्ट आप देख सकते हैं । ३० फी सदी आमदनी में २॥) रु० की बचत होती है । सकी ८ रुपया कीमत है, २॥)रुपया कस्टम ड्यूटी देनी पडती है: यह किसानों को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है । कारखानेदारों को कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं देनी चाहिये ? तारामीरा अगर गंगानगर मिल वाले उठावें, अगर वहां से सरसों का तेल गंगानगर मिल वाले निकाल कर बाहर भेजते हैं तो उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं । अगर उसका किसान तेल निकाल कर बाहर भेजता है तो उस पर ३॥) रुपया मन की ड्यूटी है । तेल की हालत में साढे तीन रुपया मन ड्यूटी है । कपास यदि कारखानेदार बेचता है तो उसपर तीन रुपया मन ड्यूटी लगती है और अगर किसान बेचता है तो उसपर साढ़े तीन रुपया मन की ड्यूटी ली जाती है; यह कौनसा इन्साफ है । इससे बडा अन्याय किसानों के साथ और क्या हो सकता है ।

मैं सरकार से अपील करूंगा कि अगर वे जनता की राय की अवहेलना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जनता आपका साथ दे तो सब से पहले आपको इस ओर कदम उठाना चाहिये और ड्यूटी को खत्म कर दीजिये । ज्यादा न कहते हुए आखिर में मैं एक अल्फाज और कहना चाहता हूं । मैं इसको हैल्दी टैक्स मानने के लिए तैयार नहीं । ऐसा अनहैल्दी टैक्स किसानों पर नहीं लगाना चाहिये; दूसरे लोगों को भी देना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरे लोगों पर कितने टैक्स लगे हुए हैं, अगर आप इनके साथ मुकाबला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान का किसान जितना टैक्स देता है उतना और कोई नहीं देता । इन अल्फाजों से मैं अपील करूंगा कि इस रिज्योलुशन को मन्जूर किया जावे ।

श्री अवनिकुमार:--अध्यक्ष महोदय, में एक बात जानना चाहता हूं कि क्या एसेम्बली को ३ तारीख से प्रोरोग कर दिया जायगा? क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष:—The authority to pass an Order of prorogation vests in the Rajpramukh and not in me.

विराम

The House is adjourned and we will meet now on the 3rd at 8-30 A. M.

(सदन की बैठक १२-३० मध्याह्न को, दिनांक ३ नवम्बर १९५२ के ८-३० प्रातः तक के लिए स्थगित हुई।)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–३१ अक्टूबर, १९५२

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।